



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224588
CG-DL-E-20012021-224588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942
No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

मामला सं. एडीडी (ओ आई) 33/2019

विषय : चीन जन. गण. से "एनिलिन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच में अंतिम जाँच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/42/2019—डीजीटीआर.—

- मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहाँ आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे यहाँ आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "एनिलिन" (जिसे यहाँ आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहाँ आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जाँच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति की निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहाँ आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहाँ आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 33/ 2019 - डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
3. प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम शुल्कों की सिफारिश करना उपयुक्त समझा और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्कों (ए डी डी) को लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 12 जून, 2020 की फा.सं. 6/42/2019 – डी जी टी आर के तहत प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए। तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 29 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 20/2020 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित एनिलीन के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए, जो कि 6 माह के लिए वैध हैं।

ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जाँच के संबंध में यहाँ नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 5 के उप नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी जाँच संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार, जांचों की शुरुआत करने के संबंध में सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जाँच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहाँ अनुरोध किया गया था, वहाँ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग को भी सूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे जाँच की शुरुआत में दी गई समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :
 - i. मैसर्स सिनोपेक नानजिंग केमिकल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड
 - ii. मैसर्स बेयर मैटेरियल साइंस (शंघाई) कं. लिमिटेड

- iii. मैसर्स जिलिन कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
- iv. मैसर्स शांक्सी तियांजी कोल केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड
- v. मैसर्स शानडोंग जिनलिंग केमिकल कं. लिमिटेड
- vi. मैसर्स जियांगसु रुक्सियांग केमिकल कं. लिमिटेड
- vii. मैसर्स हेनन कैपू केमिकल कं. लिमिटेड
- viii. मैसर्स बीएएसएफ (चीन) कं. लिमिटेड
- ix. मैसर्स यंताई वनहुआ पॉलीथेन कं. लिमिटेड
- x. मैसर्स हेबेई जिहेंग केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड
- xi. मैसर्स शानडोंग हैहुआ कं. लिमिटेड
- ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों, उनके संबद्ध निर्यातकों/ व्यापारियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
 - i. मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड
 - ii. मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लिमिटेड
 - iii. मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लिमिटेड
 - iv. मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
 - v. मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लिमिटेड
 - vi. मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं :
 - i. मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड
 - ii. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iii. मैसर्स बोडल केमिकल्स लिमिटेड
 - iv. मैसर्स भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - v. मैसर्स कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - vi. मैसर्स मयूर डाइकेम इंटरमीडिएट एलएलपी
 - vii. मैसर्स इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
 - i. मैसर्स भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ii. मैसर्स बोडल केमिकल्स लिमिटेड
 - iii. मैसर्स कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iv. मैसर्स कलरटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - v. मैसर्स मयूर डाई केम इंटरमीडिएट्स एलएलपी
 - vi. मैसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड

- vii. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - viii. मैसर्स जेम्बी केम लिमिटेड
 - ix. मैसर्स भारत ऑर्गेनिक लिमिटेड
 - x. मैसर्स नूतन डाई केम प्रा. लिमि.
 - xi. मैसर्स रेमिक केमिकल्स प्रा. लिमि.
 - xii. मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xiii. द डाईस्टफ्स मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएमएआई)
 - xiv. मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लिमिटेड और मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड रूप में।
- ट. प्राधिकारी ने दिनांक 12 जून, 2020 की फा. सं. 6/42/2019 – डी जी टी आर के तहत प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए। हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जाँच परिणामों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया।
- ठ. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी को भी दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 को हुई एक मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया था। ऐसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, मौखिक रूप से व्यक्त किए विचारों को लिखित में दाखिल करने का परामर्श दिया गया था। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोध को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया और उन्हें अपने खंडन को प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था।
- ड. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के माध्यम से ई-फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ढ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जाँच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जाँच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ण. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जी ए ए पी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार सूचना की मांग की गई थी। वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए डाटा का आवश्यकता के अनुसार सत्यापन किया गया था।
- थ. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) है। तथापि, क्षति जाँच अवधि 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जाँच की अवधि मानी गई है।
- द. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- ध. जहाँ कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान वर्तमान जाँच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जाँच में काफी बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जाँच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- न. इस जाँच में आवश्यक तथ्यों सहित एक प्रकटीकरण विवरण, जो वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम का आधार है, दिनांक 12 जनवरी, 2021 को हितबद्ध पक्षकारों जारी किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण के उपरांत के विवरण से संबंधित अनुरोधों पर इस अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना में, जहाँ तक ये संगत पाए गए, विचार किया गया है।
- प. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में साक्ष्यों के समर्थित तथा संगत मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है।
- फ. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- ब. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.73 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जाँच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था :

"वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक अमीन सम्मिश्रण है। इसका रंग ताजा-ताजा डिस्टिल्ड किए जाने पर हल्का पीला-पीला द्रव में बदल जाता है। रोशनी अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।

संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद एनिलिन है जिसे एनिलिन तेल के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक पारदर्शी तैलीय द्रव है और औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों में प्रयुक्त किया जाता है।
- ख. यह उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष 29214110 के तहत वर्गीकृत है।
- ग. आवेदक द्वारा उत्पादित सामान आयातित सामानों की समान वस्तु हैं क्योंकि वे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं में भार में 99.8 प्रतिशत की शुद्धता है और पानी की मात्रा की दृष्टि से अधिकतम भार में 0.1 प्रतिशत की शुद्धता है। वान्डुआ कैमिकल ग्रुप कं. द्वारा साझा किए गए ब्रॉशर के अनुसार उनके उत्पादन में 99.80 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता है और पानी का अंश < 0.10 है।

ग. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

क. घरेलू उद्योग के उत्पाद में अशुद्धता का स्तर और नमी का अंश आयातित उत्पाद की तुलना में अधिक है।

ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

8. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जाँच की गई है और उन्हें हल किया गया है।

9. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद एनिलिन है जो औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई और डाई मध्यवर्तियों के लिए एक आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है। इस उत्पाद को एनिलिन तेल भी कहा जाता है।

10. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में माना है :

"वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक अमीन सम्मिश्रण है। इसका रंग ताजा-ताजा डिस्टिल्ड किए जाने पर हल्का पीला-पीला द्रव में बदल जाता है। रोशनी अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।

संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

11. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि अशुद्धता का स्तर और नमी का अंश आयातित उत्पाद की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पाद में अधिक है। तथापि, उन्होंने कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, न ही संभव अंतर के प्रभाव की मात्रा तय की गई है और प्रदर्शित की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया साक्ष्य यह दर्शाता है कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद में प्रतिवादी उत्पादक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के समान शुद्धता और नमी का स्तर है।

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है और कर रहे हैं। आवेदक के तर्क पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

13. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क कोड 2921 41 10 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार**घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एक मात्र उत्पादक है।

ख. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं है।

ग. आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाएं पूरी करता है।

घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. पहले एक अन्य उत्पादक नामतः एचओसीएल था। लेकिन उसने अपनी कार्यशील पूंजी और अन्य समस्याओं के कारण अपना उत्पादन बंद कर दिया है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. यह आवेदन पत्र मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

18. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता**ड. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

19. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :-

क. आवेदक ने लागत संबंधी संख्याओं की गोपनीयता का दावा करने का औचित्य दिया है।

ख. व्यापार सूचना सं. 10/2018, दिनांक 7 सितंबर, 2018 द्वारा यथा अपेक्षित पूरी सूचना प्रदान की गई है।

ग. आर आई एल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में निर्णय का संदर्भ देने से यहाँ कोई संबंध नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया था कि ऐसे पक्षकार से सूचना को, जिसने उसकी आपूर्ति की है, गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता।

घ. घरेलू उद्योग की क्षमताओं के संबंध में सूचना, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट पर सूचित किया गया है, संस्थापित प्रचालन क्षमता के आधार पर है। तथापि, आवेदक ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिक क्षमता के लिए अनुमोदन ले लिया है। क्षति विवरण में सूचित क्षमता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए सहमति आदेश के अनुसार क्षमता के आधार पर है जो कि गोपनीय है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

ड. यहाँ तक कि प्रतिवादियों ने भी इस आधार पर गोपनीयता का दावा लिया है कि सूचना कारोबारी की दृष्टि से संवेदनशील सूचना है।

ड. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. याचिकाकर्ता द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है क्योंकि इसने याचिका के खंड VI में कोई सूचना प्रदान नहीं की है क्योंकि यह एक बहु उत्पाद कंपनी है। अतः वार्षिक रिपोर्ट में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना प्रदान नहीं करती। यद्यपि संबद्ध सामानों की क्षमता और क्षमता उपयोग वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं। तथापि, इसे गोपनीय होने का भी दावा किया गया है।

- ख. केवल आंकड़ों के गोपनीय होने का दावा किया गया है। व्यय की प्रकृति और कच्ची सामग्री का नाम तथा यूटिलिटी का नाम प्रकट किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग का यह कहना है कि सूचना को सारबद्ध करना संभव नहीं है, यह कानूनी अपेक्षा को पूरा नहीं करता। सूचना के गोपनीय होने का दावा करने के लिए कोई उचित कारण दर्शाना आवश्यक है।
- घ. गोपनीयता के क्षेत्राधिकार को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य, 2006 (202) ईएलटी 23 (एस सी) मामले में अच्छी तरह से हल किया गया है।
- ङ. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में सूचना बेवसाइट पर उपलब्ध है और वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे अभी भी गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- च. घरेलू उद्योग ने फार्मेट एल और फार्मेट एच में बिक्री प्राप्ति के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।

ड. 3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 21. गोपनीयता के संबंध में जाँच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जाँच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है।
- 22. प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गयी सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- 23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है :-

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।
- 24. जहाँ तक सूचना की गोपनीयता के संबंध में शर्तों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना को परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है।

25. फार्मेट-एच में अपेक्षित संगत डाटा जाँच की अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संस्थापित क्षमता, उत्पादन की मात्रा और क्षमता का उपयोग प्रतिशत के संबंध में है, जिसे एनआईपी की गणना करते समय क्षमता उपयोग/उत्पादन की अनुकूलता के लिए विचार में लिया गया है। इसके अलावा, फार्मेट-एल में याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई एनआईपी का उल्लेख किया गया है, जो कि जाँच की अवधि के दौरान संस्थापित क्षमता के साथ जाँच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान अधिकतम क्षमता उपयोग प्रतिशत को गुणा करके प्राप्त किया गया है। यह कारोबारी दृष्टि से संवेदनशील सूचना है, जिसका प्रकटीकरण होने से प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 14/2018 के अनुसार सूचना प्रदान की गई है।

च. विविध अनुरोध

च. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. इस कारण से एक 6 माह की जाँच की अवधि (पी ओ आई) का प्रस्ताव किया गया था कि चीन जन. गण. से आयात की कीमतों में बहुत ही कम अवधि में भारी गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारण किस प्रकार से अनुपयुक्त हैं।
- ख. एक 6 माह की जाँच की अवधि पूरी तरह से प्राधिकारी से विगत निर्णयों और प्रथा के अनुसार नहीं है।
- ग. हितबद्ध पक्षकारों के ये दावे कि प्राधिकारी द्वारा एक 6 माह की जाँच की अवधि के लिए जारी किए प्रारंभिक जाँच परिणामों में कोई भी औचित्य प्रदान नहीं किए गए हैं, यह सही नहीं है।
- घ. मैनुअल में केवल दिशानिर्देश दिए गए हैं। प्राधिकारी द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मामला विशेष आधार पर अंतिम निर्णय लिया गया है।
- ङ. पाटित आयातों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह स्थापित करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि कैसे एक 12 माह की अवधि इस स्थिति को दूर कर पाएगी और कंपनी के निष्पादन की "सच्ची" तस्वीर प्रस्तुत करेगी।
- च. पाटन की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए जाँच की अवधि अपेक्षित है। पूरी जाँच की अवधि के दौरान चीन से पाटित आयात किए गए हैं और आवेदन ने भी पूरी जाँच की अवधि के दौरान बिक्री की है।
- छ. बेंजीन की कीमत में उतार-चढ़ाव आने से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, इसने भारतीय उत्पादक और चीन के उत्पादकों, दोनों को प्रभावित किया होगा और जाँच की अवधि पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा होगा।
- ज. केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क (ए डी डी) लगाया जाएगा कि आयात उचित कीमतों पर हो। विगत में भारत में आयात विभिन्न अन्य स्रोतों से हुए हैं, जिसने हमेशा घरेलू उद्योग की कीमतों पर जाँच रखनी होगी।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि उनके पास आवेदक के संबंध में कुछ सूचना उपलब्ध है कि वह समय पर वस्तुएं प्रदान करने में समर्थ नहीं रहा है, बल्कि वह प्राधिकारी को उसे उपलब्ध कराने में भी विफल रहा है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग सूचना समय पर प्रदान क्यों नहीं करेगा।
- ञ. उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग की लागत पर कम कीमतों का लाभ प्राप्त किया है और अब वे यह तर्क दे रहे हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उनका निष्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा।
- ट. इस अनुरोध के खिलाफ कि शुल्क लोकहित में नहीं हैं, यह तर्क दिया गया है कि भारत में विगत 20 वर्षों से शुल्क लागू हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक डाईस्टफ उत्पादकों की संख्या के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है, जिन्होंने कि पाटनरोधी शुल्क के कारण इन 20 वर्षों में अपने संयंत्रों को बंद किया है।

- ठ. जाँच की अवधि के बाद के डाटा की जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच के मामले में अपेक्षित है न कि किसी नई पाटनरोधी जाँच के मामले में।
- ड. पाटनरोधी कानून में कोटा के आधार पर शुल्क की मांग करने वाले प्रतिवादी द्वारा अनुरोध करने का कोई आधार नहीं है।
- ढ. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क के कारण पेट्रोल/ गैसोलीन के आयातों में वृद्धि हुई है, ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि कैसे 2020 में लगाए गए शुल्कों के कारण वर्ष 2019 में आयातों में वृद्धि होगी।
- ण. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण ड्रग का उत्पादन प्रभावित होगा।
- त. एनिलिन और बेंजीन की कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव आया है। प्रेरित की गई कीमतों के आधार पर शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग और प्रयोक्ताओं, दोनों के लिए कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा।

च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक ने जाँच की शुरुआत के लिए शर्त साबित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया है और इसके बजाए आयात बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं तथा क्षति बनाई है। गलत और अपर्याप्त आंकड़ों के साथ केवल अवधारणाएं और गलत विवरण हैं।
- ख. एनिलिन के प्रयोक्ता कीमत संवेदी और प्रतिस्पर्धी बाजार में कार्य कर रही प्राथमिक रूप से लघु एवं मध्य पैमाने की यूनिटें हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से उस पर प्रभाव पड़ेगा जो कि पहले ही मंदी तथा इनपुट रसायनों की बढ़ी हुई लागत झेल रही है।
- ग. जाँच की अवधि प्राधिकारी की विगत परिपाटी का विचलन है। यहाँ तक कि न्यूज प्रिंट की हाल ही में शुरू की गई जाँच में प्राधिकारी ने जाँच की अवधि नौ माह अपनाई, जब याचिकाकर्ता ने जाँच की छः माह की अवधि का अनुरोध किया था। वह भी अन्य सदस्यों द्वारा अपनाई गई परिपाटी से विचलन है।
- घ. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के पैरा 5.10 के अनुसार, जाँच की अवधि 12 माह होनी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया है।
- ड. जाँच की 6 माह की अवधि वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग द्वारा 27 दिन के रख-रखाव के कारण मंदी के प्रभाव को छिपाने के लिए चुनी गई है। परिणामस्वरूप, जाँच की अवधि केवल 5 माह के लिए रख दी गई है।
- च. वर्तमान मामले में जाँच की 6 माह की अवधि मानने के लिए औचित्य नहीं दर्शाया गया है। क्षति की जाँच करने के लिए व्यापार से जुड़े सभी चक्रीय प्रभावों पर विचार करने के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि ली जानी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा जाँच की शुरुआत अधिसूचना और जारी किए गए प्रारंभिक जाँच परिणामों में 6 माह की पी ओ आई के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया है।
- छ. जाँच की अवधि की अनुपयुक्तता भी उतार-चढ़ाव वाली मासिक आयात कीमतों से देखी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने जाँच की अवधि में आयात कीमत में गिरावट का दावा किया है। तथापि, जाँच की अवधि में कीमत 6 प्रतिशत तक बढ़ी है जो क्षति विश्लेषण के लिए कम अवधि की अनुपयुक्तता दर्शाती है।
- ज. कच्ची सामग्री की कमी से निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन में व्यवधान होगा। शुल्क की सिफारिश केवल तभी की जाए, यदि स्थानीय उत्पादकों की क्षमताएं मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों।
- झ. चीन में निचले स्तर के उत्पाद भी विनिर्मित किए जाते हैं जो भारत को तथा यूरोपीय संघ और एशिया में भारतीय उत्पादकों के अन्य ग्राहकों को भेजे जा रहे हैं।
- ञ. कोविड-19 महामारी के प्रभाव एसएमई/ एमएसएमई में डाईस्टफ उत्पादकों पर दिखाई देते हैं और इनपुट पर किसी अतिरिक्त शुल्क से कई यूनिटें स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी।

- ट. आवेदक मांग को पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए आयात होने जारी रहेंगे। शुल्क से आवेदक कीमत में फेरबदल कर पाएगा और अपना लाभ बढ़ा पाएगा।
- ठ. भारत में उत्पाद के लिए भारी मांग आपूर्ति अंतराल है, जिसके लिए पर्याप्त आयात आवश्यक होते हैं और ऐसे मामले में कोई पाटनरोधी शुल्क अन्यायोचित है।
- ड. चूंकि एच ओ सी एल ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, अतः उपभोक्ता पूरी तरह से, जाँच की अवधि सहित कई वर्षों के लिए जी एन एफ सी की क्षमता पर निर्भर है।
- ढ. कम जाँच की अवधि कंपनी के निष्पादन की सच्ची तस्वीर नहीं दर्शाती। जाँच को अधिक उद्देश्यपरक बनाने के लिए अवधि के बाद के डाटा का एकत्रण आवश्यक है।
- ण. एक ऐसी कम अवधि के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन और निर्धारण में विरुपण की संभावना बहुत ही अधिक है और इसके परिणाम अत्यधिक भ्रामक हो सकते हैं।
- त. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में न तो कोई कारण दिया है और न ही प्राधिकारी ने अपनी जाँच शुरुआत सूचना में सामान्य 12 माह की जाँच की अवधि को छोड़ने के लिए कोई कारण दिए हैं। एक 6 माह अथवा 18 माह की अवधि ही उचित औचित्य के साथ आपवादिक परिस्थितियों में ली जा सकती है।
- थ. घरेलू उद्योग का संयंत्र जाँच की अवधि के दौरान 2 माह के लिए बंद किया गया था। जाँच की अवधि के भीतर कार्यशील पूंजी केवल 4 माह की थी।
- द. घरेलू उद्योग का संरक्षण उसकी 40,000 मी. टन तक की क्षमता तक सीमित होना चाहिए न कि उससे अधिक क्षमता तक आवश्यक आयात किसी पाटनरोधी शुल्क से मुक्त होने चाहिए।
- ध. पेट्रोल/ गैसोलीन के आयातों में आश्चर्यजनक दर पर वृद्धि हुई है क्योंकि स्थानीय उत्पादन शुल्क के कारण महंगा हो गया है और वर्ष 2019 के दौरान 2000 प्रतिशत से भी अधिक की अचानक से तेजी आई है।
- न. शुल्क लगाए जाने से लोकहित पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उत्पादन पैरासीटामोल, टाइलीनोल, एसिटामिनोफेन और ग्लोब जैसे कतिपय आवश्यक ड्रग और हैल्थकेयर घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक है।
- प. आवेदक घरेलू बाजार में जाँच की अवधि की कीमत में आसानी से हेर-फेर कर सकते हैं, यदि शुल्क नहीं लगाए जाते हैं।
- फ. डाईस्टफ उत्पादक छोटी और मझौली इकाइयां हैं, जो बहुत ही संवेदनशील कीमत और अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन करती हैं। कोई भी शुल्क इस उद्योग को अव्यवहार्य बना देगा, जो डाईस्टफ उत्पादकों के प्रचालन को बंद कर सकता है।
- ब. प्राधिकारी ने एनओसीआईएल लिमिटेड और आरती इंडस्ट्रीज लिमि. की प्रारंभिक जाँच परिणाम में पहचान नहीं की है।
- भ. प्राधिकारी क्षति के मार्जिन पर एक निर्धारण कोटा भी वैकल्पिक रूप में शुल्क लगा सकते हैं।
- म. प्राधिकारी एक प्रेरक कीमत के रूप में अथवा परिवर्तनीय आधार पर शुल्क निर्धारित कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योग को शुल्क लगाने से कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होता।
- य. प्राधिकारी द्वारा जाँच की अवधि के लिए दिए गए स्पष्टीकरण के विपरीत कि संबद्ध देश से आयात की कीमतों में तीव्र गिरावट आई है, वास्तव में आयात की कीमत में वृद्धि हुई है।
- कक. घरेलू उद्योग असामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए मांग आपूर्ति अंतराल का उपयोग कर रहा है। अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक कारकों के कारण लाभ में कोई गिरावट होने पर पाटन शुल्क लगाया जाता है।
- खख. घरेलू उद्योग ने शुल्कों का फायदा लेकर और इसकी कीमते बढ़ाकर अपने एकाधिकार को बनाए रखने का सहारा लिया है, यद्यपि बेंजीन की कीमतों में गिरावट आई है।

- गग. घरेलू उद्योग ने कई अवसरों पर उपयोक्ताओं के साथ मोल-तोल किया है और आपूर्ति समाप्त करने से इंकार किया है। एक आपूर्तिकर्ता से निर्धारित कीमतों पर आश्वस्त आपूर्ति के अभाव में, अंतिम उपयोक्ता उसी आपूर्तिकर्ता का भरोसा नहीं कर सकते और इसलिए वैकल्पिक स्रोतों को खोजने पर मजबूर हुए हैं।
- घघ. आवेदक के इस दावे के विपरीत की चीन में अधिक्य क्षमताएं हैं, जिनके कारण भारत में आयात हो रहे हैं, आयातों का कारण मांग और आपूर्ति अंतराल का होना है तथा क्षमताएं सरप्लस नहीं हैं बल्कि मांग आधारित है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

28. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर निम्नलिखित रूप में विचार किया है :-

- क. 6 माह की जाँच की अवधि के चयन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के रूप में 6 माह की अवधि अपनाया नियमावली के विपरीत नहीं है। घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि (पीओआई) के रूप में अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 माह) मानने की आवश्यकता सिद्ध की। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होने पर उसे स्वीकार किया। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले में 6 माह की जाँच की अवधि उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देश से आयात कीमतों में गिरावट अप्रैल-सितंबर, 2019 पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। वर्तमान मामले में याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी और इसीलिए सितंबर, 2019 के बाद की अवधि के लिए आंकड़े जाँच की शुरुआत के स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। पाटनरोधी जाँच का प्रयोजन यह जाँच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन किया गया है और क्या इस पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले के लिए चुनी गई जाँच की अवधि जाँच की शुरुआत के समय कानूनी स्थिति तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही परिपाटी के अनुरूप है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 9/2020-सीमा शुल्क द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें नियम 2(घक) तथा नियम 22 का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रावधान शामिल करते हुए जोड़ा गया है :

" जाँच की अवधि:-

- (i) जाँच की शुरुआत की तारीख को छः माह पुरानी से अधिक नहीं होगी।
- (ii) बारह माह की अवधि के लिए होगी तथा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 माह अथवा अधिकतम 18 माह पर विचार कर सकते हैं।"

यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधन वर्तमान जाँच की शुरुआत के बाद किए गए हैं। फिर भी प्राधिकारी ने ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार जाँच की अवधि के रूप में अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 माह) के चयन के लिए आवेदक द्वारा दिए गए औचित्य पर विधिवत विचार किया था। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं लाए हैं कि एक 6 माह की जाँच की अवधि वर्तमान जाँच के लिए न्यायोचित नहीं है और एक 12 माह की जाँच की अवधि पर विचार करने से एक भिन्न परिदृश्य सामने आएगा।

- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल से पाटित आयातों से समाधान की मांग करने से किसी घरेलू उद्योग को नहीं रोकता। डीएसएमआई डेमिस्तु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेसस्टेट द्वारा माने गए अनुसार मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन का औचित्य नहीं बनाता। विदेशी उत्पादक हमेशा अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं। अतः इस दावे के लिए कोई आधार नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की कमी हो सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बनता है और बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा नहीं रुकती। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को भी नोट करते हैं कि एनिलिन का निर्यात कई देशों द्वारा किया जाता है। प्रयोक्ता किसी भी स्रोत से संबद्ध सामानों के आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच एनिलिन के लिए है न कि उसके निचले स्तर के उत्पाद के लिए। एनिलिन के निचले स्तर के उत्पाद का आयात वर्तमान मामले को प्रभावित नहीं करता।
- घ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी।
- ङ. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग का संयंत्र कुछ माह के लिए बंद किया गया था, जिसके कारण जाँच की अवधि में कार्य की अवधि में कटौती की गई थी। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन रोक दिया था, जबकि उसके पास बिक्रियों में गिरावट के कारण मालसूची अधिक थी। उत्पादन बंद करने की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने घरेलू भारतीय बाजार में सामानों की बिक्री जारी रखी और आयात जारी रहे। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है, जब प्रचालन अवधि केवल कुछ ही माह के लिए सीमित रखी गई। वास्तव में पाटन के कारण एक ऐसी स्थिति आने की संभावना है, जब कुछ घरेलू उद्योग अपना उत्पादन बंद करने पर मजबूर हों और अधिकांश अथवा समग्र जाँच की अवधि के लिए कारोबार पूरी तरह बंद कर सकते हैं तथापि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध नहीं कर सकता।
- च. यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग के पास मालसूची है, अतः उसके समक्ष वस्तुओं की आपूर्ति की समस्या नहीं आनी चाहिए थी। घरेलू उद्योग के समक्ष वस्तुओं की आपूर्ति में समस्याएं आने के संबंध में कोई सत्यापन योग्य सूचना न होने के कारण, वर्तमान जाँच पर अनुरोध का प्रभाव अप्रमाणित रहा है।
- छ. निर्धारित दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में फीडस्टॉक की कीमतें बहुत ही परिवर्तनशील हैं। ऐसे मामले में, यह संभावना है कि उत्पादक निर्धारित दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर पाएं। हर हाल में, यह मामला यह निर्णय लेने के लिए संगत नहीं है कि क्या वस्तुएं पाटित कीमतों पर बेची गई थी और क्या ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ज. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना लोकहित के खिलाफ होगा, कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं। विगत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। शुल्क लगाने का प्रयोजन आयातों को रोकना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे उचित और गैर क्षतिकारी कीमतों पर हों। इसके अलावा, विगत में भी, विभिन्न स्रोतों से आयात हुए हैं। उपभोक्ता किसी भी स्रोत से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, प्रयोक्ता नियम 23 के तहत वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की मांग कर सकते हैं, यदि उसे लगाने के लिए कोई निरंतर औचित्य नहीं है।
- झ. इस अनुरोध के संबंध में कि पेट्रोल/ गैसोलीन के आयातों में वर्ष 2019 के बाद वृद्धि हुई है, यह नोट किया जाता है कि यह ऐसी अवधि से संबंधित है, जब शुल्क लागू नहीं थे और इसीलिए आयातों में वृद्धि को लगाए गए शुल्क से जोड़ा नहीं जा सकता।
- ञ. शुल्क के रूप के संबंध में पक्षकारों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के तहत, प्राधिकारी को अनिवार्यता कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करना और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करना है, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी यह नोट करने के बाद शुल्क का रूप निर्धारित किया गया है और शुल्क का रूप ऐसे तथ्यों पर निर्भर होगा।
- छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण
29. धारा 9 क (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहाँ उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ. 1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

30. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. चीनी उत्पादकों का सामान्य मूल्य तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उत्पादक यह न दर्शाएं कि उनके खाते नियमावली के नियम 7 और 8 के प्रावधानों, चीनी अभिगम नयाचार के प्रावधानों और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही परिपाटी को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतें उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।
- ख. सामान्य मूल्य प्रतिनिधि देश के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग. चीन और यूरोपीय संघ को छोड़कर, अन्य देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों की संख्या बहुत कम है।
- घ. यूरोपीय संघ में उत्पादन क्षमता लगभग चीन के ही स्तर पर है।
- ङ. केवल यूरोपीय संघ से निर्यात भारत के निर्यातों के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।
- च. जीडीपी और जीएनआई की तुलना करने पर भी, यूरोपीय संघ को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जिसे उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना जा सके।
- छ. यूरोपीय संघ को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना जा सकता है।
- ज. बेल्जियम से जर्मनी को निर्यात बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में एनिलिन की कीमत का साक्ष्य हैं।
- झ. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- ञ. यदि प्रतिवादी इसकी कीमतों और लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा करना चाहता है, तो चीन के उत्पादकों को प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली उत्तर को दाखिल करना चाहिए था। जब तक प्रतिवादी बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों को प्रमाणित नहीं करता, चीन जन. गण. में कीमतें स्वीकार नहीं की जा सकतीं।
- ट. अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान पहले ही समाप्त हो चुके हैं लेकिन अनुच्छेद 15 (क) (i) के प्रावधान अभी भी लागू हैं और चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- ठ. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में विकास के स्तर को समान सिद्ध किया है और किसी अन्य देश के पास चीन जन. गण. के विकास के स्तर के समान विकास का स्तर नहीं है। यूरोपीय संघ के अलावा कोई अन्य देश नहीं है, जिस पर सहयोगी देश के रूप में विचार किया जा सके।

- ड. बेल्जियम से जर्मनी की कीमतें अंतरा यूरोपीय संघ कीमत की प्रतिनिधिक कीमत हैं, जिन पर यूरोपीय क्षेत्र में प्रचलित कीमतों के रूप में विचार किया जा सकता है।
- ढ. भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य भी पर्याप्त पाटन को प्रमाणित करता है।
- ण. यदि इस लागत का एकमात्र कारण इस तथ्य के कारण था कि वान्हुआ का संयंत्र प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास के साथ है, जो बेहतर प्राप्त निष्पादन प्रदान करता है तो प्रतिवादी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करना चाहिए और इसके अपने सामान्य मूल्य का दावा करना चाहिए।

छ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. सामान्य मूल्य बेल्जियम से जर्मनी को बिक्री कीमत के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि वह नियम 7 – दूसरे विकल्प की अपेक्षा को पूरा नहीं करता। एक विकल्प सामान्य मूल्य के आधार के रूप में भारत सहित बेल्जियम से दूसरे देशों को कीमत हो सकती है।
- ख. बेल्जियम से जर्मनी को कीमत अंतःदेशीय कीमत है और यूरोपीय संघ में कीमत के रूप में नहीं देखी जा सकती। मानी गई कीमत यूरोपीय संघ में विद्यमान कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है।
- ग. यूरोपीय संघ को प्रतिनिधि देश के रूप में मानना उपयुक्त नहीं है। याचिकाकर्ता कानूनी रूप से अनुमति के अनुसार उचित दावे करने में विफल रहा है।
- घ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह मानते हुए सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ता के विभिन्न प्रस्तावों पर पुनः विचार करें कि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- ङ. प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्यातकों से भारी मात्रा में सूचना की मांग करते हुए चीन जन. गण. से पृथक प्रश्नावली दायर की हैं।
- च. भारत को डब्ल्यू टी ओ में अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए और चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर की मान्यता देनी चाहिए। चीन जन. गण. के लिए प्रतिनिधि देश का सिद्धांत 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गया। डब्ल्यू टी ओ में चीनी अभिगम की समाप्ति के बाद उसे उसी तरह माना जाना चाहिए जैसा किसी अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्य को माना जाता है और किसी सदस्य विशेष के घरेलू कानून को ध्यान में न रखते हुए चीन जन. गण. से आयात चीनी कीमतों और लागतों के आधार पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- छ. यूरोपीय संघ में, अधिकतर एनिलिन उत्पादक एमडीआई विनिर्माता भी हैं। कोवेस्ट्रो का बेल्जियम और जर्मनी में अभिगम संयंत्र और जर्मनी तथा स्पेन में एमडीआई संयंत्र है। कोवेस्ट्रो को एमडीआई विनिर्माण के लिए बेल्जियम से जर्मनी तथा स्पेन को एनिलिन स्थानांतरित करना होता है। यह स्थानांतरण कीमत बाजार कीमत नहीं माना जाएगा क्योंकि एनिलिन का स्थानांतरण संबद्ध पक्षकारों के बीच कोवेस्ट्रो समूह के भीतर किया जाता है। यही स्थिति सीयूएफ को छोड़कर बीएएसएफ, डीओडब्ल्यू, हंट्समैन और बोरसोचैम पर लागू होती है। सामान्य मूल्य संबद्ध कंपनियों के बीच लेन-देनों के आधार पर नहीं माना जा सकता।
- ज. सीयूएफ, यूरोपीय संघ में एनिलिन का एक मात्र उत्पादक है जिसके पास एमडीआई संयंत्र नहीं है। अतः एनिलिन का स्थानांतरण सीयूएफ तथा उन संबद्ध पक्षकारों के भीतर नहीं किया जा सकता जो कि कोवेस्ट्रो, बीएएसएफ, डीओडब्ल्यू, हंट्समैन और बोरसोचैम के असमान विभिन्न देशों में स्थित हो सकते हैं। सीयूएफ संयंत्र केवल पुर्तगाल में स्थित है। सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए पुर्तगाल द्वारा जर्मनी को सीयूएफ (उत्पादक) की बिक्री पर सबसे अधिक विश्वास किया जा सकता है।

- झ. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) की पुस्तिका के पैरा 13.18.2 में यह उल्लेख है कि उपयुक्त प्रतिनिधि देश पर देश के विकास और विचाराधीन उत्पाद के स्तर पर विचार करने के बाद विश्वास किया जा सकता है। बेल्जियम और जर्मनी के विकास का स्तर अनिरंतर है।
- ञ. जीडीपी – प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीडीपी प्रति व्यक्ति, उपभोक्ता खर्च, जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था वृद्धि, विश्व व्यापार वृद्धि और दो देशों के बीच जनसंख्या में भारी अंतर है और इसीलिए वे तुलनीय नहीं हैं।
- ट. याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा और कीमत के बीच भारी अंतर है।
- ठ. यदि प्राधिकारी इन अनुरोधों से सहमत नहीं हैं कि पुर्तगाल से जर्मनी को कीमतों को सामान्य मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए तो फिर यह अनुरोध है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्मित किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए बेनजेन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जा सकता है, कच्ची सामग्री के खपत कारक पर प्रतिभागी उत्पादक के लिए विचार किया जा सकता है, चीन में विद्यमान कीमतों से यूटिलिटीयों की लागत निकाली जा सकती है और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान ब्याज दर पर विचार किया जा सकता है। चीन जन. गण. से भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के लिए उपयुक्त लाभ भी जोड़ा जा सकता है।
- ड. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन की कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका निर्माण कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, भागीदार उत्पादकों के लिए खपत मानकों, चीन जन. गण. में प्रचलित कीमतों पर यूटिलिटी लागत तथा चीन जन. गण. सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित ब्याज दर विचार करके किया जाना चाहिए।
- ढ. विश्व व्यापार संगठन के लिए चीन जन. गण. के प्रोटोकॉल ऑन एक्सेसन की धारा 15 (क) (ii) दिनांक 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई। अब भारत के पास कोई गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कार्य प्रणाली का उपयोग करके चीन के उत्पादों की पाटनरोधी जाँच में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के करारों के तहत कोई कानूनी आधार नहीं रहा है।
- ण. वान्हुआ के संयंत्र प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास के साथ हैं, जो बेहतर उपलब्ध निष्पादन प्रदान करती है और उत्पादन की लागत कम होती है।

छ. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

छ. 3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीनी के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति

32. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

"(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहाँ व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सव्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

33. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि अभिगम नयाचार के 15 (क) (i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक तथा निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

34. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

35. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में पठित है :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे

देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जाँच के मामले में जहाँ उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जाँच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

36. प्राधिकारी ने चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी हैं। जाँच की शुरुआत की अधिसूचना का उद्धरण निम्नलिखित है:

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे जाँच की शुरुआत की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां दें। इस जाँच के लिए चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के दावे पृष्ठ 6 के 3 की विस्तृत जाँच होने तक वर्तमान जाँच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बेल्जियम से जर्मनी को बिक्री कीमत ली है।

37. चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि जाँच की शुरुआत में प्राधिकारी द्वारा दी गई 30 दिनों की समय सीमा के भीतर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने चीन के लिए एक प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ को मानने के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां नहीं दीं। तथापि, डाईस्टप्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएमएआई) और वनहुआ ग्रुप ने दी गई समयावधि के बाद प्रस्तावित सिद्धांत पर चिंताएं उठाई हैं।

38. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि इस मामले में सामान्य मूल्य भारत में विधिवत समायोजित प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

39. चूंकि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में यूरोपीय संघ को मानने विरोधी अनुरोध हैं, अतः प्राथमिक जाँच परिणामों के प्रयोजन के लिए सामान्य मूल्य लाभ शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड, मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. और मैसर्स केम्पर एनर्जी प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

- मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड (वनहुआ)
- मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लिमिटेड, हांगकांग
- मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
- मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
- मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लिमिटेड
- मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड

41. यह नोट किया जाता है कि जाँच की अवधि के दौरान, मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक) चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है और उसने भारत में ग्राहकों को संबद्ध तथा असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-3ग में भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों के ब्यौरे दिए हैं। उत्तरदाता उत्पादक/ निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके मामले में परिशिष्ट- 3 क लागू नहीं है क्योंकि भारतीय ग्राहकों को कोई सीधी बिक्री नहीं है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. ने मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग)

कं. लि., हांगकांग (व्यापारी) के माध्यम से भारत को *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लि., हांगकांग ने बदले में मैसर्स केम्पर एनर्जी पीटीई. लि., सिंगापुर के माध्यम से भारत को उसी का निर्यात किया है। अन्य संबद्ध उत्पादक मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लि. ने जाँच की अवधि के दौरान सीधे ही अपने संबद्ध व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) कं. लि., मैसर्स वनहुआ केमिकल (यंताई) ट्रेडिंग कं. लि. और मैसर्स वनहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं. लि. भारत को निर्यातों में शामिल नहीं हैं।

42. भारत को निर्यातों के लिए उत्पादक/ निर्यातक ने पत्तन तथा अन्य संबद्ध व्यय, पोत के माध्यम से परिवहन तथा गैर-वापसी योग्य वैट के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध निर्यातक मैसर्स वनहुआ केमिकल (हांगकांग) कं. लि., हांगकांग द्वारा दावा किए गए बैंक प्रभार तथा ऋण व्यय पर कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए भी अनंतिम रूप से विचार किया गया है। प्राधिकारी ने सूचना के सत्यापन के अध्यक्षीन प्राथमिक जाँच परिणामों के प्रयोजन के लिए उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के व्यौरों पर विश्वास किया है। पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, पोत से परिवहन और गैर-वापसी योग्य वैट, बैंक प्रभार तथा व्यापारी से ऋण व्यय के निमित्त समायोजन प्राथमिक जाँच परिणामों के प्रयोजन के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार अनंतिम रूप से निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

चीन जन. गण. से अन्य सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए

43. जिन अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, उन सभी के लिए निर्धारित कीमत समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण लागत, अंतर्देशीय तथा पत्तन प्रभार और वैट वापसी के लिए उचित समायोजन की अनुमति देने के बाद विस्तार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

छ. 3.2 पाटन मार्जिन

44. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है :

देश	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य/ सीएनवी (अमेरिकी डॉलर/ मी. टन)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.	वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि.	****	****	****	****	30 - 40
	अन्य उत्पादक	****	****	****	****	30 - 40

ज. क्षति का निर्धारण और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जाँच

ज. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. संबद्ध सामानों की मांग में जाँच की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, मांग फिर भी क्षमता से अधिक है और इसीलिए गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा सकती।
- ख. संबद्ध सामानों के आयात पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में संबद्ध देश से काफी बढ़े हैं।
- ग. आयात कीमतों में जाँच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।
- घ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

- ड. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी है।
- च. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का हास किया है।
- छ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है।
- ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत और 43 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी है।
- झ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जाँच की अवधि में गंभीर रूप से प्रभावित हुई है क्योंकि वह हानियों में चल रही है।
- ञ. घरेलू उद्योग का नकद लाभ तथा निवेश पर आय जाँच की अवधि में नकारात्मक हुई है।
- ट. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में अपना लगभग 28 प्रतिशत बाजार हिस्सा खोया है। संबद्ध देश के आयातों के बाजार हिस्से में लगभग 46 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक वृद्धि ली है।
- ठ. घरेलू उद्योग में औसत मालसूची काफी है जो वार्षिक बिक्री मूल्य का लगभग ***% प्रतिशत दर्शाती है।
- ड. घरेलू उद्योग ने सभी मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- ढ. संबद्ध आयात चिंताजनक दर पर बढ़े हैं जो और भी अधिक क्षति का खतरा पैदा कर रहे हैं।
- ण. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास काफी क्षमताएं हैं।
- त. आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर हासमान प्रभाव रहा है और संबद्ध आयातों की मांग में वृद्धि के लिए उनका रास्ता बनाने की संभावना है।
- थ. यदि संबद्ध देश से पाटन नहीं होता तो घरेलू उद्योग ने विगत की तरह उत्पादन और बिक्री की होती।
- द. घरेलू उद्योग के समक्ष इन्वेंट्री बढ़ने की समस्या आ रही थी और उसे जाँच की अवधि में दो बार अपना उत्पादन कम करना पड़ा।
- ध. घरेलू उद्योग के सभी मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि होने की संभावना थी, लेकिन सभी मापदंडों में गिरावट दर्शाई गई।
- न. चीन में 4036 के. मी. ट. की कुल क्षमता में से आवेदक के अनुमानों के अनुसार, चीन, जापान और कोरिया में कुल खपत केवल 2374 के. मी. ट. के करीब थी। चीन में संस्थापित क्षमताएं अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में मांग की तुलना में काफी अधिक हैं।
- प. जाँच की अवधि में एनिलिन में बेंजीन की लागत केवल 12 प्रतिशत तक कम हुई है; तथापि, चीन से एनिलिन की आयात कीमतें करीब 27 प्रतिशत तक नीचे आई हैं, जो यह दर्शाता है कि चीन से आयात कीमतों में गिरावट, बेंजीन की कीमत में गिरावट से काफी अधिक है।
- फ. व्यापार उपचार जांचों का इतिहास यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रायः कम कीमत के पाटित आयातों की ओर संवेदनशील रहा है।
- ब. क्षति अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से काफी अधिक है। यदि मांग में वृद्धि होना ही कारण होता, तो अन्य देशों से आयातों में भी वृद्धि हो गई होती, लेकिन उनमें गिरावट आई है।
- भ. यद्यपि जाँच की अवधि में मांग में गिरावट आई है, लेकिन संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है।
- म. संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत गैर-क्षतिकारी कीमत से काफी कम है, जो यह दर्शाता है कि जिस कीमत पर आयात हुए हैं, वे घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी हैं।
- य. संबद्ध देश से कम कीमतों पर महत्वपूर्ण मात्रा, घरेलू उद्योग को ईष्टतम क्षमता उपयोग करने और उसे बनाए रखने से रोकती है।

- कक. आवेदक के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित किया है।
- खख. असंगत पक्षकार से बाजार कीमतों पर कच्ची सामग्रियों की खरीद की गई है।
- गग. घरेलू उद्योग को जैसा यह है, वैसा विचार करने की जरूरत है, न कि इसे आदर्श स्थिति के रूप में विचार किया जाना है।
- घघ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध कि क्षति का कारण अन्य कारक हैं, मात्र अनुमान है। यह दर्शाने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं कि कथित क्षति कुछ अन्य कारकों के कारण हो सकती है।
- ड.ड. हितबद्ध पक्षकारों ने यहाँ तक कि किसी विशेष कारक की पहचान नहीं की है और केवल अनुमानों "हो सकता है" "हमें कारण की जानकारी नहीं" का सहारा लिया है।
- चच. प्राधिकारी को केवल यह पहचान करना अपेक्षित है कि क्या सूचीबद्ध कारकों के कारण क्षति हुई है और यदि उन्हें क्षति नहीं हुई तो ऐसे अन्य कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो पक्षकार द्वारा पहचाने गए हैं, इसकी मौजूदगी को दर्शाते हैं, इसका संबंध स्थापित करते हैं और इसके प्रभाव की मात्रा तय करते हैं।
- छछ. आवेदक की निर्यात बिक्रियां मात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उन पर किसी क्षति का संदर्भ देने का कोई संबंध नहीं है।
- जज. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि बिक्री कीमत और लागत पर कम उत्पादन के कारण प्रभाव पड़ा है, बिक्री कीमत का उत्पादन में कमी से कोई संबंध नहीं है और लागत के महत्वपूर्ण हिस्से में कच्ची सामग्री और यूटिलिटी की लागत शामिल है, जो परिवर्तनीय प्रकृति की हैं। उत्पादन में कमी के कारण घरेलू उद्योग की लागत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा होगा।
- झझ. आवेदक काफी कम स्तर पर क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है और चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना कर रहा है। उसी संयंत्र क्षमता के साथ, घरेलू उद्योग विगत में अपनी प्रचालन लाभप्रदता पर संचालन कर पाया है। यदि अब घरेलू उद्योग हानि का सामना कर रहा है, तो यह कम संयंत्र साइज के कारण नहीं हो।
- जज. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि लाभों में मामूली गिरावट है, यह लाभों में गिरावट का मामला नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण वित्तीय हानि की स्थिति है।
- झझ. घरेलू उद्योग की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कारकों से संचालित नहीं होती, बल्कि बाजार में वस्तुओं और भारत में कच्ची सामग्री की कीमतों से संचालित होती हैं। चीन से पाटित आयातों कारण घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ है।
- जज. यद्यपि कीमत में कटौती बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत के कारण होती है, लेकिन लाभप्रदता बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत के कारण होती है। उनमें से दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है।
- टट. विगत सभी वर्षों में, पहुंच कीमत बिक्रियों की लागत से अधिक थी, जबकि पहुंच कीमत, जाँच की अवधि में बिक्रियों की लागत से काफी कम थी।
- ठठ. घरेलू उद्योग को बाजार अंश में जाँच की अवधि में गिरावट आई है और उस पर चीन जन. गण. से पाटित आयातों का कब्जा हो गया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- डड. यह तर्क कि आवेदक के समक्ष बेंजीन की खरीद में रुकावट आ रही है, गलत है। प्रतिवादी द्वारा जिस दस्तावेज पर भरोसा किया गया है, वह जाँच की अवधि से संबंधित नहीं है। बोलियों के लिए आमंत्रण की सूचना एक नियमित कारोबारी प्रक्रिया है और इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे कच्ची सामग्री की प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं। प्रतिवादी के अनुरोध के प्रतिकूल, बेंजीन की कीमतों में गिरावट आई है।

- ढढ. प्राकृतिक गैस के कारण आयातक की लागत होने के अनुरोध पर, प्राधिकारी कृपया प्रतिवादी से यह पूछे कि अमोनिया से एनिलिन तक की पूरी चेन के अनुसार, निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृतिक गैस के कारण लागत कम आने का निर्धारण किया जाए।
- णण. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग ने आपूर्ति से इंकार कर दिया, घरेलू उद्योग के पास सरप्लास इन्वेंट्री हैं और अधिक क्षमताएं हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग क्यों आपूर्ति से इंकार करेगा, जब तक कि प्रस्तावित कीमतें बाजार की कीमतों से कम न हों।
- तत. जाँच की अवधि के बाद में घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतों बढ़ाए जाने पर, यह अनुरोध किया जाता है कि बेंजीन की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।
- थथ. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग निर्धारित कीमतों पर संबद्ध वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता, बेंजीन की कीमतें इस अवधि के दौरान निर्धारित नहीं हैं। अतः एनिलिन का कोई भी उत्पादक निर्धारित कीमत पर उत्पाद की आपूर्ति नहीं करेगा।
- दद. घरेलू उद्योग भारी इन्वेंट्री के कारण अपना उत्पादन बंद करने पर मजबूर था। घरेलू उद्योग के पास बाजार में आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री थी। आवेदक से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी स्थिति में भी उत्पादन को जारी रखे, जहाँ अलाभकारी कीमतों पर भारी इन्वेंट्री पड़ी हो।
- धध. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पर्याप्त क्षति और क्षति की आंशका, दोनों का दाव किया है, इस संबंध में नियमावली के तहत कोई सीमा नहीं है।
- नन. इस अनुरोध के खिलाफ की घरेलू उद्योग 2 माह की अवधि से उत्पादन नहीं कर रहा था, घरेलू उद्योग ने इस कारण से उत्पादन नहीं रोका कि एनिलिन के उत्पादन के लिए तकनीकी समस्याएं थीं, बल्कि यह तथ्य है कि आवेदक अपनी कीमतों को पाटित सामग्री की कीमतों के अनुसार नहीं रख सका।

ज. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :

- क. जब कीमत कटौती उच्चतम स्तर पर थी तो घरेलू उद्योग बहुत अच्छा लाभ कमा रहा था। तथापि, जब कीमत कटौती न्यूनतम स्तर पर है तो उसे हानियां हुई हैं। यह दर्शाता है कि आयातों और लाभप्रदता की कीमतों के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- ख. लगभग 70,000-75,000 मी. टन संबद्ध सामान का आयात किया जाता है क्योंकि भारत में उत्पादन क्षमता भारत में मांग से कम है।
- ग. आयात चीन से किए जाते हैं क्योंकि किफायत के कारण वे सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी कीमत वाले हैं।
- घ. वस्तुतः घरेलू उद्योग उस समय अधिक लाभ प्राप्त कर रहा था जब कीमत कटौती आधार वर्ष में 10-20 प्रतिशत थी और जब जाँच की अवधि में वह 0-10 प्रतिशत थी तब उसे हानियां हुईं जो जाँच की अवधि में 12 माह से कम होने के कारण ह्रास दर्शाता है।
- ङ. जाँच की अवधि में कम से कम 2 माह के लिए कीमत कटौती नकारात्मक थी जो यह दर्शाती है कि आयातों की पहुँच कीमत क्षति का कारक नहीं है और हानियां आयातों के दबाव के कारण नहीं हो सकतीं।
- च. घरेलू उद्योग 2018-19 में लगभग 108 प्रतिशत और जाँच की अवधि में 119 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा था। गिरावट के बाद भी वह बहुत उपयुक्त स्तर पर होता। इसके अतिरिक्त, विगत उच्च संख्याओं से थोड़ा सा संशोधन क्षति बताने वाली स्थिति नहीं है।
- छ. आर्थिक मंदी, कच्चे तेल पर आधारित इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव आदि के कारण कीमतों में अस्थायी संचलनों को अगले पांच वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु क्षति नहीं कहा जा सकता।
- ज. क्षति स्व-प्रभावित हो सकती है और घरेलू उद्योग की बंदी के कारण हो सकती है।

- झ. जाँच की अवधि के दौरान आर्थिक प्रवृत्ति में अकस्मात गिरावट आंकड़ों के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाती है क्योंकि 2016-17 से 2018-19 के बीच क्षति की अवधि में सभी कुछ सामान्य था।
- ञ. आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि में घरेलू बिक्री (43 प्रतिशत) और निर्यात बिक्री (33 प्रतिशत) दोनों में गिरावट है जो यह दर्शाता है कि क्षति किसी अन्य कारण से हो सकती है।
- ट. बिक्री लागत में वृद्धि और बिक्री कीमत में गिरावट कम उत्पादन और क्षमता उपयोग के कारण है न कि संबद्ध देश से आयातों के कारण।
- ठ. करार के अनुच्छेद 3.5 में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे क्षति पहुँचाने वाले पाटन को छोड़कर अन्य कारकों की जाँच करें।
- ड. यू एस हॉट रोलड स्टील में अपीलिय निकाय ने यह माना है कि यूएस नॉर्वेजियन सलमन ए डी में पैनल द्वारा जाँच त्रुटिपूर्ण थी (यू एस अटलांटिक में पैनल में माना था कि अन्य कारकों के कारण क्षति को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है)।
- ढ. आवेदक उन कई मुद्दों को हल करने में विफल रहा है जिनका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव है।
- ण. आवेदक ने बेंजीन का संग्रह किया होगा या अधिक कीमत पर आपूर्ति करने का कोई दीर्घावधिक अनुबंध किया होगा, क्योंकि जब बेंजीन की कीमत करीब 24 प्रतिशत तक गिरी तो लागत में केवल 4 प्रतिशत गिरावट आई।
- त. बेंजीन की कीमत में वृद्धि के साथ, चीन से एनिलिन के पहुंच मूल्य में पहले वृद्धि हुई और जब कीमतों में वर्ष 2019 में गिरावट आई तो एनिलिन के पहुंच मूल्य में भी गिरावट आई।
- थ. संबद्ध देश से आयातों के अलावा अन्य कारण हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी। सार्वजनिक डीमेन में सूचना के अभाव, अन्य हितबद्ध पक्षकार इसे सिद्ध नहीं कर सकते। आवेदक अन्य कारकों के कारण हानि को बताने में भी विफल रहा है।
- द. आवेदक निर्मित क्षति बताकर प्राधिकारी को गुमराह कर रहा है। उन्हें छिपाने के लिए आवेदक ने छोटी जाँच की अवधि का चयन किया है।
- ध. घरेलू उद्योग की घरेलू और निर्यात बिक्रियों, दोनों में गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि बिक्रियों में गिरावट का कारण संबद्ध देशों से आयात नहीं है बल्कि अन्य निहित समस्या है।
- न. बिक्रियों की लागत में वृद्धि कीमत में गिरावट का कारण कम क्षमता उपयोग होना और उत्पादन में कमी होना है।
- प. घरेलू उद्योग 108 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा था और भारतीय मांग का केवल 35 प्रतिशत ही पूरा कर सका। इतने अधिक क्षमता उपयोग पर वास्तविक संदर्भ में कोई मात्रा संबंधी क्षति नहीं हो सकती और सूचीबद्ध संख्याएं काफी भ्रामक हैं।
- फ. घरेलू उद्योग अभी भी उसी क्षमता का प्रचालन कर रहा है, जिस पर उसने उत्पादन शुरू किया था और उसने इसमें वृद्धि नहीं की है, यद्यपि विगत दो दशकों से मांग में वृद्धि हो रही है।
- ब. घरेलू उद्योग को कई वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क का लाभ लेने के बाद आगे संरक्षण लेने से पूर्व अधिक क्षमता/ किफायतता का पैमाना स्थापित करना चाहिए।
- भ. आवेदक ने यह दावा किया है कि जाँच की अवधि के दौरान कीमतों में तीव्र गिरावट आ रही है लेकिन जाँच की अवधि के दौरान मासिक कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।
- म. जब आधार वर्ष में कीमत कटौती 10-20 प्रतिशत के स्तर पर थी, तब घरेलू उद्योग अधिक लाभ कमा रहा था लेकिन जब जाँच की अवधि के दौरान यह 0-10 प्रतिशत पर थी, तब हानि हुई।
- य. एकाधिकार की स्थिति के जरिए विगत के मात्रात्मक मापदंड से मामूली सुधार आने से क्षति बताने की स्थिति नहीं है।

- कक. लगाई गई पूंजी पर अच्छे स्तर से नकारात्मक स्तर पर प्रतिफल जाना अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों के आने के कारण हो सकता है।
- खख. उत्पादन में गिरावट आना, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग प्रभावकारी मैनपावर प्रबंधन में विफल रहा है। इसके प्रभावों को आयातों के कारण क्षति बताया जा रहा है।
- गग. घरेलू उद्योग निरंतर उच्च क्षमता उपयोग पर प्रचालन करता आया है। यहाँ तक कि केवल 6 माह की जाँच की अवधि में भी क्षमता उपयोग 60 प्रतिशत है।
- घघ. घरेलू उद्योग अपने सभी उत्पादन की आसानी से बिक्री करने में समर्थ रहा है और यहाँ तक कि जाँच की अवधि में भी, इसने घरेलू बाजार में अपने उत्पादन की करीब 60 प्रतिशत बिक्री की है।
- डड. संबद्ध देश से आयातों ने अन्य देशों के बाजार अंश पर कब्जा किया है और घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कोई भी गिरावट केवल स्थिर क्षमता के कारण से ही है।
- चच. पहुंच कीमतों में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के अनुसार है।
- छछ. चीन से संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत और पहुंच कीमत की प्रवृत्ति समान रही है।
- जज. इन्वेंट्री में कोई वृद्धि घरेलू उद्योग का निर्यातों पर अधिक ध्यान देने के कारण से है।
- झझ. घरेलू उद्योग स्वयं की निर्मित सीमाओं के कारण क्षति का सामना कर रहा है। यह ईंधन तेल से एनिलिन के निर्माण में अमोनिया का उत्पादन करता है, जो कि निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृतिक गैस की तुलना में महंगी है।
- ञञ. जब घरेलू उद्योग दो माह के लिए बंद हो गया था, तो निष्पादन मापदंडों की स्थिति खराब हो गई।
- टट. आयातों में कोई वृद्धि मुख्यतः अन्य देशों से आयात में कमी होने के कारण से है और घरेलू उद्योग के बाजार अंश में सीमित क्षमता के कारण निरंतर कमी आती रही।
- ठठ. घरेलू उद्योग के अधिकांश क्षति मापदंडों में जाँच की अवधि को छोड़कर आधार वर्ष की तुलना में निरंतर वृद्धि होती रही है।
- डड. पर्याप्त क्षति होने की आंश के अनुमान का दावा घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति के आधार पर किया गया है और दावे के प्रमाण स्वरूप कोई तथ्य नहीं दिया गया है और यह अनुमानों और आकलनों के आधार पर है।
- ढढ. एशियाई बेंजीन की कीमतों में पुनः आपूर्ति की कमी के चलते कमी आई है। आवेदक के समक्ष जाँच की अवधि में बेंजीन की खरीद में समस्याएं आई हैं।
- णण. जाँच की अवधि के दौरान बिक्री में कोई भी गिरावट आपूर्ति की समस्या के कारण थी, क्योंकि उत्पादन बंद हो गया था और आयातों के अंश में कमी नहीं आई थी।
- तत. एनिलिन की कीमतें केवल प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों की प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित हुई हैं, अतः प्राधिकारी को कम से कम 12 माह के लिए एनिलिन और बेंजीन की कीमत पर विचार करना चाहिए।
- थथ. एनिलिन की कीमत, जो कम अवधि के लिए गिरी थी, जल्द ही वृद्धि की प्रवृत्ति में आ गई।
- दद. जी एन एफ सी ने कभी भी प्रयोक्ताओं का ध्यान नहीं रखा और मांग आपूर्ति का लाभ लेकर बाजार में बने रहने के लिए शुल्कों की मांग की है। जब तक कि जी एन एफ सी क्षमता में वृद्धि नहीं करता कोई भी पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि प्रयोक्ता को आयातों पर निर्भर न रहना पड़े।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

47. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को

क्षति दर्शाने वाले कारकों की जाँच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जाँच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

48. चूंकि पी ओ आई 12 महीनों की नहीं है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़े पूर्ववर्ती वर्षों से सीधे तुलनीय हों, वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़ों को “वार्षिकीकृत” किया गया है और ये इन अंतिम जाँच परिणाम में उल्लिखित हैं। चूंकि वर्तमान मामले में पी ओ आई 6 महीने की है इसलिए आंकड़ों को पूर्ववर्ती वर्षों से तुलनीय बनाने के लिए 2 से गुणा किया गया है। इस कारण से पी ओ आई के लिए सूचीबद्ध और वास्तविक आंकड़े तथा वार्षिकीकृत आंकड़े इन जाँच परिणामों में समान आंकड़ों को दर्शाते हैं।

ज. 3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का मूल्यांकन/ स्पष्ट खपत

49. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	84	57	57
संबद्ध देश	मी. टन	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	165	231	231
अन्य देशों के आयात	मी. टन	4,127	16,441	21,370	823	1,645
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	398	518	40	40
कुल मांग	मी. टन	86,253	1,06,697	1,22,931	59,542	1,19,083
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	124	143	138	138

50. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग, जाँच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है।

ख. संबद्ध देश से आयातों में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि

51. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
अन्य देशों से आयात	मी. टन	4,127	16,441	21,370	823	1,645
कुल आयात	मी. टन	44,650	65,358	88,118	47,590	95,179

निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात						
कुल आयात	%	91%	75%	76%	98%	98%
भारतीय उत्पादन	%	98	117	176	462	462
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	119	180	472	472
भारतीय मांग	%	47%	46%	54%	79%	79%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	116	167	167

52. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बड़े हैं। संबद्ध आयात सापेक्ष दृष्टि से भी बड़े हैं। आयात कुल आयातों, भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में बड़े हैं। इसके अतिरिक्त, आयात आधार वर्ष और तत्काल पूर्व वर्ष, दोनों की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात में आधार वर्ष और तत्काल पूर्व वर्ष, दोनों की तुलना में भारतीय उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि दर्शाई है।

ज. 3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

53. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतें कम करने अथवा कीमत की वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

54. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश के आयातों के कटौती प्रभाव निम्नलिखित रूप में आते हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री वसूली	₹ / मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	121	91	91
पहुँच कीमत	₹ / मी. टन	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	138	136	100	100
कीमत कटौती	₹ / मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	10 -20%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

55. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।

ख. कीमत ह्रास एवं दमन

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू कीमतों का दमन कर रहे हैं अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक दमन करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना आयात कीमतों के साथ की गई थी।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री कीमत लागत	₹/ मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	118	113	113
बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	121	91	91
पहुँच कीमत	₹/ मी. टन	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	138	136	100	100

57. यह पाया गया है कि :

- क. संबद्ध देश से आयात पूर्व में 2018-19 तक घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक कीमत पर थे। तथापि, आयात जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर थे। यह भी नोट किया जाता है कि 2017-18 से संबद्ध सामानों की बिक्री कीमतों में काफी गिरावट आई है जबकि बिक्री लागत बढ़ी।
- ख. जबकि बिक्री लागत, बिक्री कीमत और आयात कीमत में जाँच की अवधि में गिरावट आई, आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट बिक्री लागत की तुलना में बहुत अधिक और काफी थी। घरेलू उद्योग बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक कीमतें कम करने के लिए भी मजबूर था।
- ग. इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में कीमत वृद्धि पर रोक लगाई है जो कि अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई होती। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का अत्यधिक सीमा तक ह्रास किया है।

कम कीमत पर बिक्री

58. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा निकालने के लिए संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य से उसकी तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जाँच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। विश्लेषण यह दर्शाता है कि जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम था, जैसा कि सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	जाँच की अवधि
1	पहुँच कीमत	रु./ मी. टन	69,255
2	एनआईपी	रु./ मी. टन	***
3	कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. टन	***
4	कम कीमत पर बिक्री	%	***
5	कम कीमत पर बिक्री	रैंज	0-10

59. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से कम थी। चीन जन. गण. के लिए कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी है।

ज. 3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

60. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहाँ नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की वस्तुपरक रूप से जाँच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

61. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	50	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	91	25	49
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	91	49	49
घरेलू बिक्री	मी. टन	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	84	29	57

62. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि में स्थिर रही है।

ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग 2017-18 में आंशिक रूप से बढ़ा है, परंतु उसके बाद जाँच की अवधि में उसमें काफी गिरावट आई है। मांग और आपूर्ति के अंतराल को देखते हुए घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन कर सकता था।

ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में जाँच की अवधि (पी ओ आई) में काफी गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई।

घ. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं।

63. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में 2018-19 में और उसके बाद जाँच की अवधि में गिरावट आई। इन मानदंडों में गिरावट काफी अधिक है और वह संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप होनी प्रतीत होती है।

ख. बाजार हिस्सा

64. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग	%	48%	39%	28%	20%	20%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	80	59	42	42
संबद्ध आयात	%	47%	46%	54%	79%	79%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	116	167	167
अन्य देश	%	5%	15%	17%	1%	1%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	322	363	29	29
कुल	%	100	100	100	100	100

65. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में निरंतर गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में 58 आधार अंक तक गिरावट आई जब संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में 67 आधार अंकों तक बढ़ा। अन्य सभी देशों के बाजार हिस्से में भी इस अवधि में गिरावट आई। इस तर्क संबंध में कि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि अन्य देशों के बाजार हिस्से में गिरावट के कारण है, यह नोट किया जाता है संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि, सभी अन्य देशों के बाजार हिस्से में गिरावट से अधिक है।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

66. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह नीचे तालिका में दिए गये हैं :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	₹ / मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	118	113	113
बिक्री कीमत	₹ / मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	121	91	91
प्रति यूनिट लाभ	₹ / मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	205	132	(26)	(26)
कुल लाभ/ (हानि)	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	203	111	(7)	(15)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	202	110	(7)	(14)
व्याज पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	198	107	(7)	(14)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	204	106	(18)	(18)

67. यह देखा गया है कि :

- क. घरेलू उद्योग 2018-19 तक लाभ कमा रहा था। यद्यपि, लाभ प्रति यूनिट 2017-18 में बढ़ा, तथापि 2018-19 और उसके बाद जाँच की अवधि में उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जाँच की अवधि में इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में वित्तीय हानियां हुईं।
- ख. नकद प्रवाह और निवेश पर आय ने भी लाभों की प्रवृत्ति की तरह वही प्रवृत्ति अपनाई। नकद लाभ और निवेश पर आय में 2017-18 में वृद्धि हुई और उसके बाद जाँच की अवधि तक उसमें इतनी गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई।
- घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

68. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	104	103	103
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	129	52	104
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	91	49	49

69. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में रोजगार और मजदूरी के संबंध में काफी बदलाव नहीं आया है। प्रति दिन उत्पादकता में उत्पादन में गिरावट के कारण जाँच की अवधि में गिरावट आई है।

ड. मालसूची

70. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग में मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	जाँच की अवधि(ए)
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	26	380	479	479

71. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में औसत मालसूची में क्षति अवधि की पहली दो अवधियों की तुलना में जाँच की अवधि सहित में अंतिम दो अवधियों में काफी वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

72. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नलिखित तालिका के अनुसार है :

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन	वर्ष/ वर्ष	1%	-10%	-46%
घरेलू बिक्री	वर्ष/ वर्ष	-1%	-16%	-31%
क्षमता उपयोग	वर्ष/ वर्ष	1%	-10%	-46%
औसत मालसूची	वर्ष/ वर्ष	-74%	1362%	26%
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	वर्ष/ वर्ष	-20%	-27%	-29%
लाभ/(हानि)	वर्ष/ वर्ष	103%	-46%	-113%
नकद लाभ	वर्ष/ वर्ष	102%	-45%	-112%
पीबीआईटी	वर्ष/ वर्ष	98%	-46%	-113%
नियोजित पूंजी पर आय	वर्ष/ वर्ष	104%	-48%	-117%

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

73. पाटन की मात्रा उस सीमा तक एक संकेतक है जहाँ तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जाँच ने यह दर्शाया है कि जाँच की अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

74. घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में वित्तीय हानियाँ हो रही हैं। आयातों के कारण घरेलू उद्योग के सामने आ रही प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग के प्रचालन प्रभावित हुए हैं। इसने पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित की है। तथापि, यह जोड़ा जा सकता है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अकेले विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) के निष्पादन के आधार पर नहीं चलती है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

75. आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे ही प्रभावित कर रही हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य उसकी निवल बिक्री कीमत से ही कम नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू उद्योग कीमत का ह्रास किया है जिससे वित्तीय हानियाँ हुई हैं। तीसरे देशों से संबद्ध सामानों के आयात मात्रा में नगण्य हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग देश में क्षमताओं से कहीं अधिक है और वह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती। पाटित आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात हैं।

76. प्राधिकारी ने क्षति तथा कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। पूर्ववर्ती पैराओं में प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यथा तथ्यतः घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।

77. यह देखा जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि जाँच की अवधि में प्रतिकूल और नकारात्मक थी।
78. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि कीमत कटौती और लाभ के बीच कोई सह संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में हमेशा गिरावट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उच्च कीमत कटौती का अभिप्राय यह है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात कीमत से अधिक थी। यह नोट किया जाता है कि जाँच की अवधि के दौरान आयात कीमत में भारी गिरावट के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतें काफी कम करने के लिए मजबूर हुआ है। इसके अतिरिक्त, कम हो रही कीमतों के बावजूद घरेलू उद्योग ने काफी बिक्री मात्रा खोई है। कीमत कटौती तथा परिणामस्वरूप आयात मात्रा में वृद्धि के कारण बिक्री कीमत में कमी के बावजूद बिक्री मात्रा में गिरावट यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें कम कीं और मात्राएं भी खोईं जबकि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे और उनकी आयात मात्राएं भी बढ़ीं।
79. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि चीनी आयात किफायतों के कारण प्रतिस्पर्धी कीमतों पर चल रही हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य और अनंतिम जाँच परिणाम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य (सी एन वी) पर विचार करते हुए सकारात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इस देश में संबद्ध आयात पाटित कीमतों पर आए हैं।
80. जहाँ तक जाँच की अवधि के कम से कम दो माह में नकारात्मक कीमत कटौती का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती जाँच की अवधि के लिए निर्धारित की जानी अपेक्षित है। यह पूरी तरह संभव है कि आयात लेन-देनों अथवा महीनों में कीमत कटौती सकारात्मक और कुछ अन्य आयात लेन-देनों या महीनों में नकारात्मक हो। तथापि, प्राधिकारी के लिए पूरी क्षति अवधि के लिए भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित करना अपेक्षित है।
81. जहाँ तक घरेलू उद्योग की कम उत्पादन क्षमता के संबंध में तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई जो काफी अधिक है।
82. जहाँ तक कच्चे माल आदि पर आधारित इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी गई है कि इन कारकों ने निर्यात कीमत प्रभावित की और सामान्य मूल्य प्रभावित नहीं किया।
83. जहाँ तक तथाकथित संयंत्र बंदी का संबंध है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में लगभग 50 प्रतिशत तक गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग में मालसूची की प्रवृत्ति की जाँच की। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में अनिवार्य रूप से पूरी अवधि में मालसूची थी जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बिक्री में गिरावट उत्पादन के संभावित अभाव के कारण नहीं है।
84. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि ह्रास केवल जाँच की अवधि में है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ प्रति यूनिट, कुल लाभ, नकद लाभ, मालसूची के संबंध में 2018-19 में भी ह्रास हुआ। यह ह्रास जो 2018-19 में शुरू हुआ, आगे जारी रहा और जाँच की अवधि में और अधिक हो गया।
85. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है आवेदक को अधिक कीमतों पर बेंजीन की खरीद करनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन की कीमत में गिरावट के साथ इसकी लागत में गिरावट नहीं है। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग एनिलिन के निर्माण के लिए अमोनिया का प्रयोग करता है जो कि निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त प्राकृतिक गैस की तुलना में महंगा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को वैसे ही विचार करना चाहिए जैसा कि वह है और यह जाँच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि बेंजीन की लागत को कंपनी द्वारा रखे गए खाता बही के अनुसार लिया जाना चाहिए। यह भी नोट किया जाता है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक वैश्विक कारक है और न कि केवल भारत के लिए है और इसीलिए इससे संबद्ध देश में उत्पादक भी प्रभावित हुए होंगे। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग से यह आशा है कि वह अपने घरेलू समान उत्पादों की कीमतें, कच्ची सामग्री

की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार समायोजित करे। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों, चीन से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण समायोजित नहीं कर पाया, जो कि इसकी कीमतों का दमन कर रहे थे और कीमतों में कटौती कर रहे थे।

86. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की कीमतों की प्रवृत्ति को नोट किया है। यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट से काफी अधिक है। चीन से आयातों की पहुंच कीमत में, जाँच की अवधि में तीव्र गिरावट आई है।
87. जहाँ तक घरेलू उद्योग के निर्यातों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात बहुत ही अधिक मात्रा में हैं।
88. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग का कम बाजार अंश सीमित क्षमता के कारण है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जाँच की अवधि में अत्यधिक क्षमता का प्रचालन कर रहा था और वह सरप्लस इन्वेंट्री के चलते अपना उत्पादन रोकने पर मजबूर हुआ। अतः घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट घरेलू उद्योग की क्षमता के कारण नहीं हो सकती। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त इन्वेंट्री के साथ, ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि क्यों घरेलू उद्योग ने बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति की होगी।
89. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति कुछ अन्य कारणों से हो सकती है। यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य कारकों के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। सत्यापन योग्य साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने यह विचार करने के लिए नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक के कारण से क्षति हुई है।

झ. क्षति मार्जिन

90. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। घरेलू समान उत्पाद की एनआईपी जाँच की अवधि के लिए निर्माण लागत तथा बिक्री लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एन आई पी नियमावली के अनुबंध- III के अनुसार निकाली गई है। एन आई पी निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को माना गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। एन आई पी के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि में उत्पादन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करके परिकलित किया गया है और वही उत्पादन प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन लागत में न लगाए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) अनुबंध- III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए व्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई थी और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांचों में निरंतर अपनाई जा रही है।
91. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
92. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

देश	उत्पादक का नाम	क्षति रहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/ मी. टन)	पहुँच मूल्य (अमेरिकी डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिनअमेरि की डॉलर/ मी. टन	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
चीन जन. गण.	वनहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड	***	994.19	***	***	0-10
	अन्य	***	909.30	***	***	10-20

ज. क्षति की जाँच

93. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच यह दर्शाती है कि आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन तथा मांग के संबंध में बढ़ी है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है जो अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई होती। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को बहुत अधिक मात्रा तक न्यूनीकृत किया है।
94. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में जाँच की अवधि में काफी गिरावट के साथ क्षति की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जाँच की अवधि में काफी गिरावट से क्षति की अवधि में गिरावट आई है। साथ ही, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में काफी मालसूची है।
95. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई और घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में वित्तीय हानियाँ हुई। घरेलू उद्योग का निष्पादन नकद प्रवाह, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में कम हुआ। घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में नकद हानियाँ और निवेश पर नकारात्मक आय हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की वृद्धि कई क्षति मानदंडों के संबंध में जाँच की अवधि में नकारात्मक हुई।

ट. कारणात्मक संबंध और गैर- आरोपण विश्लेषण

96. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों की जाँच करना अपेक्षित है जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक को हुई क्षति अन्य कारणों से है न कि संबद्ध देश से आयातों के कारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करते हुए कोई सत्यापनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। यहाँ तक कि यद्यपि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे केवल अवधारणाएं हैं तो उनकी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर जाँच की गई है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

98. संबद्ध देश से आयातों का, आयातों में लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे देशों से आयात क्षति पहुँचा रहे हैं।

ख. उत्पाद के लिए मांग

99. संबद्ध सामानों के लिए मांग पूर्व वर्ष से तुलना करने पर जाँच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है। तथापि, जाँच की अवधि में मांग आधार वर्ष में मांग से काफी अधिक थी। मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ग. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

100. ऊपर जाँच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू उद्योग की उसके घरेलू बाजार के संदर्भ में निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

101. प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

102. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः उत्पादित किए गए और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

च. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

103. विचाराधीन उत्पाद के खपत पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

छ. प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

104. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और उनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। यह बताने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है।

ज. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

105. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने पुनरावृत्तियों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात अनुरोधों की जाँच की है, जिनकी पहले ही उचित रूप से जाँच की जा चुकी है और इन अंतिम जाँच परिणामों के संगत पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

106. प्रकटीकरण पश्चात विवरणों पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

- प्राधिकारी से पूंजी इनपुट में नियोजित कार्यशील पूंजी पर आय के संबंध में पर्याप्त विचार करने का अनुरोध किया जाता है। इसलिए केवल स्थायी परिसंपत्तियों पर लाभ प्रदान करने और कार्यशील पूंजी में निवेश की उपेक्षा करने के कारण एन आई पी का महत्व कम हुआ है।
- चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर ए.डी.डी लागू किया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।
- प्रयोक्ताओं द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर में प्राधिकारी से महत्वपूर्ण सूचना को रोक लिया गया है।
- वाक्यांश सार्वजनिक एक विस्तृत शब्द है जिसमें घरेलू उद्योग भी शामिल है।
- एक मात्र उत्पादक पाटित आयातों के कारण, मांग और आपूर्ति अंतर के बावजूद बिक्री करने में असमर्थ है।
- ए. डी. डी अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत भेदभाव जो भारत में उद्योग के लिए क्षतिकारक है, का एक निवारण है।
- चीन जन. गण. में उत्पादक एक अनुचित लाभ उठा रहे हैं क्योंकि वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं।
- चीनी उत्पादकों की क्षमताएं उल्लेखनीय रूप से उच्च हैं।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

107. प्रकटीकरण विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- देश में उत्पाद के लिए मांग-आपूर्ति अंतर बहुत अधिक गंभीर है।
- प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के रूप में केवल छह महीनों के आधार पर क्षति का विश्लेषण भ्रम में डालता है।
- पी ओ आई पश्चात अवधि में आयात कीमतों और घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- क्षति आंकड़े घरेलू उद्योग के निष्पादन में उल्लेखनीय गिरावट की किसी स्थिति को नहीं दर्शाते।

- v) प्राधिकारी को इस मामले को प्रयोक्ताओं के वृहत हित पर विचार करते हुए ए डी डी के लिए एक अनुपयुक्त मामला समझना चाहिए और विभिन्न लघु प्रयोक्ताओं की लागत पर ए डी डी लागू किये जाने से देश के समग्र आर्थिक हित का कोई भला नहीं होगा।
- vi) प्राधिकारी से इस मामले में पहले लागू किए गए अनंतिम शुल्कों की पुष्टि न किए जाने का अनुरोध किया जाता है।
- vii) प्राधिकारी ने “अप्रैल- सितंबर, 19 में संबद्ध देश से आयात कीमतों में गिरावट तीव्र है” कहते हुए छह महीने की पी ओ आई को न्याय संगत बताया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल की कीमतों की तुलना में सितंबर माह में आयात कीमतों में लगभग 3200 रुपए (लगभग 6%) की वृद्धि हुई।
- viii) घरेलू उद्योग के दो महीने के स्वीकृत शटडाउन ने प्रभावी रूप से पी ओ आई को घटा कर 4 महीने तक कम कर दिया है जो कानून में अनुचित है।
- ix) वर्तमान पी ओ आई निम्नलिखित कारणों के कारण सही रूप से नहीं अपनाई गई है:-
 - क. यह डब्ल्यू टी ओ समझौते और डी जी टी आर द्वारा जारी नियमावली के तहत दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है।
 - ख. बेनजिन जो एनीलिन का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है, और एनीलिन के उत्पादन की लागत के 75% से अधिक निर्धारित करती है, की कीमतों में विस्तृत उतार-चढ़ाव है।
 - ग. एक छोटी पी ओ आई कंपनी के निष्पादन की सही तस्वीर प्रतिबिंबित नहीं करती।
 - घ. सुनवाई की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कहा है कि कंपनी का संयंत्र पी ओ आई के दौरान दो महीनों के लिए बंद रहा जिस का अर्थ है कि पी ओ आई में वास्तविक कार्य अवधि केवल चार महीने की थी।
- x) आवेदक उद्योग द्वारा गोपनीयता का दावा अत्यधिक है।
- xi) अत्यधिक छोटी पी ओ आई जिसके साथ घरेलू उद्योग का दो महीने का शटडाउन संलग्न है, सुनिश्चित करता है कि उत्पादन, बिक्री, लाभ और अन्य पैरामीटरों से संबंधित घरेलू उद्योग का निष्पादन संबंधी पैरामीटर विकृत होने के लिए बाध्य है।
- xii) प्रकटीकरण विवरण से प्रत्यर्थियों ने नोट किया है कि प्राधिकारी ने महत्वपूर्ण क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदनों पर विचार नहीं किया है। प्रत्यर्थियों ने प्राधिकारी से अंतिम जाँच परिणाम में समान स्थिति की पुष्टि करने की प्रार्थना की है।
- xiii) प्रकटीकरण विवरण के भाग VI में इस संबंध में सूचना नहीं दी गई है कि वास्तव में प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की लागत, युटिलिटी की लागत, लागत के मानदंड के लिए क्षमता उपयोग की संगणना कैसे की है। साथ ही प्राधिकारी ने यह प्रकट नहीं किया है कि कैसे इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते क्षमता उपयोग, उत्पादन आदि जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का निर्धारण किया है कि घरेलू उद्योग पी ओ आई के दौरान महत्वपूर्ण अवधि के लिए शटडाउन के तहत था।
- xiv) चूंकि, भारत कमतर शुल्क नियम का प्रयोग करता है, एन आई पी का सही परिकलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस के अतिरिक्त, प्राधिकारी से सामान्य मूल्य की संगणना के लिए प्रयुक्त की गई उचित पद्धति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।
- xv) प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता के लिए दावों का मूल्यांकन करना चाहिए और उचित जाँच के बिना सूचना को गोपनीय के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए।
- xvi) गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार का यह मत हो सकता है कि ऐसी सूचना सारांशीकरण के लिए संवेदनशील नहीं है और ऐसी सूचना का गोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराते। तथापि, ऐसे मामले में, नियमावली के नियम 7(2) के तहत पक्षकार द्वारा कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना जरूरी है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावों का आकलन करना और यह निर्धारित करना भी जरूरी है कि क्या प्रश्नाधीन सूचना को गोपनीय रखा जाना जरूरी है अथवा नहीं।

वर्तमान मामले में, उस सूचना के पूरी तरह से मूल्यांकन किए बिना गोपनीय के दावे को स्वतः ही प्रदान कर दिया गया है, जिससे गोपनीयता का दावा संबंधित है।

- xvii) डब्ल्यू टी ओ तक चीन के परिग्रहण पर प्रोटोकॉल के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसरण में, पाटनरोधी कार्यवाहियों में “सरोगेट कंट्री” का अभ्यास में 11 दिसंबर, 2016 के बाद से बहुपक्षीय कानूनी आधार का अभाव होना चाहिए। इस तरह की प्रथा तब से समाप्त हो रही है। प्राधिकारी से इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की संगणना में “सरोगेट कंट्री” पद्धति का प्रयोग न करने का अनुरोध किया जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि चीन को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। ऐसी समझ, डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय द्वारा हाल में जारी ई यू के विरुद्ध चीन जन. गण. द्वारा आरंभ किए गए “फास्टर मामले” पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) और 15 (ख) के बीच कानूनी तर्कसंगत संबंध की व्याख्या से अप्रतिरोध्य समर्थन प्राप्त करेगी, जिसने, बिना किसी शक के एक बार प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के समाप्त हो जाने के पश्चात चीन जन. गण. को स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था की हैसियत प्रदान करने के लिए सुदृढ़ औचित्य उपलब्ध कराया है।
- xviii) पी ओ आई के दौरान आर्थिक मापदंडों में आई अचानक गिरावट आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की प्रमाणिकता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है।
- xix) बिक्रियों की लागत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर पी ओ आई के दौरान (वार्षिकी) 113 हो गई। जबकि बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 से गिर कर पी ओ आई (वार्षिकी) के दौरान 91 रह गई। बिक्रियों की लागत में वृद्धि और बिक्री कीमत में गिरावट निम्न-क्षमता उपयोग और उत्पादन में कमी से सीधे संबद्ध है। जब उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई थी तब बिक्रियों की लागत में निश्चित लागत व्ययों और श्रम लागत के कारण वृद्धि हुई न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण।
- xx) ए डी डी को लागू किया जाना आवेदक के एकाधिकार को स्थापित करेगा और यह सार्वजनिक में नहीं होगा।
- xxi) पीओआई –पश्चात अवधि की प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किए जाने के लिए जाँच की जानी चाहिए कि क्या छोटी अवधि में आरंभ हुई प्रवृत्ति वास्तव में पूरे वार्षिक वर्ष में आरंभ हुई है और तत्पश्चात यदि कोई हो, तो अंतरों का उचित आधार प्रदान करें।
- xxii) घरेलू उद्योग ने नियमों के तहत गोपनीयता के प्रवधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है।
- xxiii) पी ओ आई के पश्चात की अवधि में घरेलू उद्योग ने एनीलिन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। स्पष्ट रूप से, क्षति अवधि को 6 महीनों के रूप में धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि बाजार की दशा में सुधार हुआ है।
- xxiv) आटो इंडस्ट्री और हाउसिंग इंडस्ट्री द्वारा झेली जा रही आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए एनीलिन पर एडीडी लागू करने के परिणामस्वरूप उक्त उद्योगों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे।
- xxv) घरेलू उद्योग अपने आवेदन में पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहा है।
- xxvi) बिक्री कीमत और चीन से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत में प्रवृत्ति वास्तव में समान है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर पहुंच कीमत का कोई प्रभाव नहीं है।
- xxvii) चीन से आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट से संबंधित निष्कर्ष अस्वाभाविक और अपर्याप्त रूप से स्थापित है।
- xxviii) निर्यातकों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ हो सकता है तथापि, बढ़ती हुई मांग के बावजूद, भारत में एकमात्र घरेलू उत्पादक ने क्षमताओं का विस्तार नहीं किया है और लगातार अधिकतम क्षमता उपयोग पर प्रचालन किया है।
- xxix) प्राधिकारी ने 6 महीने की पीओआई के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े अपनाकर एनआईपी को गलत रूप से निर्धारित किया है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

108. प्राधिकारी ने पुनारवृत्तियों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात निवेदनों की जाँच की है जिन की पहले ही उपयुक्त रूप से जाँच की जा चुकी है और इन अंतिम जाँच परिणामों के प्रासंगिक पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से विचार विमर्श किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/निवेदनों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समयों गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।
- क) जहाँ तक कम महत्वपूर्ण एन आई पी के संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदनों का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया कि एन आई पी को पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III की शर्तों में प्राधिकारी के सतत अभ्यास के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- ख) जहाँ तक सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए प्रयुक्त उचित पद्धति के प्रकटन के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया कि इस जाँच परिणाम के उचित पैराग्राफों में इसको पहले ही विस्तार से बताया जा चुका है।
- ग) जहाँ तक पीओआई पश्चात अवधि में आयात कीमत में वृद्धि का संबंध है, प्राधिकारी का विचार है कि पी ओ आई पश्चात आंकड़ों पर वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, किसी मामले में पीओआई पश्चात मापदंडों पर प्राधिकारी द्वारा चयनात्मक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। पीओआई पश्चात के आंकड़ों पर विचार करने से तात्पर्य वस्तुतः सभी प्रासंगिक सूचनाओं को अद्यतन करने और उसके पश्चात सत्यापन सहित पूर्ण जाँच से है।
- घ) जहाँ तक इस दावे का संबंध है कि वर्तमान मामला प्रयोक्ताओं के वृहत हित पर विचार करते हुए एडीडी को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और बहुत से लघु प्रयोक्ताओं की कीमत पर कोई एडीडी देश के समग्र आर्थिक हित का भला नहीं करेगा, प्राधिकारी ने नोट किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सिर्फ प्रयोक्ताओं पर (पूरी जनता पर नहीं) पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बारे में निवेदन किए हैं। इसके अलावा, इन पक्षकारों ने प्रस्तावित उपायों के विपरीत प्रभाव को मात्रा में नहीं बताया है चाहे वह प्रयोक्ताओं पर हो या पूरी जनता पर। यह भी देखा गया है कि एनीलिन की कीमतें 2017-18 और 2018-19 के दौरान 95,000 रूपए पीएमटी (सीआईएफ) के क्षेत्र में थी और पी ओ आई के दौरान गिरकर 69,255 रूपए पीएमटी (सीआईएफ) हो गई। इस प्रकार, प्रस्तावित एडीडी को जोड़ने के पश्चात आयातों की पहुंच कीमत उन कीमतों से महत्वपूर्ण रूप से निम्न बनी रहेगी जो दो वर्षों की लंबी अवधि में अभिभावी रही थीं।
- ड) इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के सर्वसम्मत शट डाउन ने पीओआई को प्रभावी रूप से कम करके 4 महीनों तक कर दिया है जो कानून में अनुचित है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि संयंत्र दो महीनों के लिए पूरी तरह से शट डाउन नहीं था। संयंत्र पी ओ आई में कुछ दिनों के लिए शट डाउन था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है। तथापि, जब उत्पादन कुछ दिनों के लिए स्थगित था, घरेलू उद्योग के पास तब भी बिक्रियां करने के लिए मालसूचियां थी। वास्तव में पीओआई में घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर विगत में मालसूची स्तरों की तुलना में उच्च थे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि ये शट डाउन तकनीकी कारणों के लिए न होकर व्यापारिक कारणों के लिए थे।
- च) जहाँ तक आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा की प्रमाणिकता के बारे में शंका का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जाँच परिणाम में सभी आंकड़े उचित डेस्क सत्यापन पर आधारित हैं। पी ओआई के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में गिरावट आयात कीमत में गिरावट और चीन से पाटित आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप है।
- छ) जहाँ तक इस दावे का संबंध है कि यह मामला प्रयोक्ताओं के वृहत हित पर विचार करते हुए ए डी डी के लिए एक अनुपयुक्त मामला है, यह नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके।
- ज) कारणात्मक संबंध और महत्वपूर्ण क्षति से संबंधित तर्कों के संदर्भ में प्राधिकारी ने नोट किया है कि इन मुद्दों की ऊपर संगत पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से जाँच की गई है।

ट. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

109. प्राधिकारी ने नोट किया कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि शुल्कों को लागू किए जाने से सार्वजनिक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
110. यह माना गया कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किए गए उत्पादों की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणाम स्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों द्वारा कम नहीं होगी विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क उपायों को लागू किया जाना पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोकेगा और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता के बनाए रखने में सहायता करेगा।

ठ. निष्कर्ष

111. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच के पश्चात तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि-
- क. संबद्ध देशों से भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद इस के सामान्य मूल्य से कम है।
- ख. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हुई है।
- ग. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण क्षति हुई है।

ड. सिफारिशें

112. प्राधिकारी ने नोट किया कि जाँच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। सब्सिडीरोधी नियमों के तहत निर्धारित किए गए उपबंधों की शर्तों में सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच की शुरुआत और उसे आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का मत है कि सब्सिडीकरण और क्षति का प्रतिकार करने के लिए शुल्क को लागू किया जाना जरूरी है। इसलिए प्राधिकारी, यहाँ नीचे निर्धारित किए गए स्वरूप और तरीके में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।
113. नियमावली के नियम 4 (ख) और नियम 17(i) (ख) में अन्तर्निहित उपबंधों की शर्तों में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन में कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। इसलिए प्राधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 20/2020- सीमा शुल्क (ए डी डी) के अनुसार अंतिम शुल्क को लागू किए जान संबंधी अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से यहाँ नीचे बताए गए स्वरूप और तरीके में संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना जरूरी समझते हैं और इसे लागू करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर, अन्तिम शुल्कों को लागू किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1.	292141	एनीलिन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड	36.90	मी. टन	अम.डॉ.

2.	292141	एनीलिन	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	ऊपर बताए गए संयोजन के अतिरिक्त कोई अन्य संयोजन	121.79	मी. टन	अम.डॉ.
3.	292141	एनीलिन	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	121.79	मी. टन	अम.डॉ.

114. उपर्युक्त के अध्यक्षीन, 12 जून, 2020 को अधिसूचित प्रारंभिक जाँच परिणामों की एतद द्वारा पुष्टि की जाती है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

115. इन जाँच परिणामों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद इनके विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 20th January, 2021

Case No. ADD(OI) 33/2019

Subject : Final Findings in the Anti-dumping investigation concerning imports of Aniline from China PR.

F. No. 6/42/2019-DGTR.—

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Aniline (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).
2. The Authority, on the basis of a prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 33/2019–DGTR dated 24th January, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. The Authority having regard to the Act and the Rules, considered it appropriate to recommend interim duties and issued Preliminary Findings vide F. No. 6/42/2019- DGTR dated 12th June 2020, recommending imposition of provisional anti-dumping duties (ADD) on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. Accordingly, the Central Government vide Notification No.20/2020-Customs (ADD) dated 29th July, 2020 imposed provisional ADD on imports of Aniline, originating in or exported from China PR which is valid for 6 months.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation: -
- a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 24th January, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject country.
 - c. The Embassy of subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the Subject Country, through its Embassy in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the Domestic Industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - e. The Authority also forwarded a copy of the notice to known producers/ exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within time limit given in the initiation notification.
 - f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassy along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - g. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
 - i. M/s Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Limited
 - ii. M/s Bayer Material Science (Shanghai) Co., Limited
 - iii. M/s Jilin Connell Chemical Industry Co., Limited
 - iv. M/s Shanxi Tianji Coal Chemical Group Co., Limited
 - v. M/s Shandong Jinling Chemical Co., Limited
 - vi. M/s Jiangsu Ruxiang Chemical Co., Limited
 - vii. M/s Henan Kaipu Chemical Co., Limited
 - viii. M/s BASF (China) Co., Limited
 - ix. M/s Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Limited

- x. M/s Hebei Jiheng Chemical Group Co., Limited
- xi. M/s Shandong Haihua Co., Limited
- h. In response to the above notification, following producers, their related exporters/traders have submitted the exporter questionnaire responses: -
 - i. M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited
 - ii. M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Limited
 - iii. M/s Kempar Energy Pte. Limited.
 - iv. M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Limited
 - v. M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited
 - vi. M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
 - i. M/s NOCIL Limited
 - ii. M/s Aarti Industries Limited
 - iii. M/s Bodal Chemicals Limited
 - iv. M/s Bhageria Industries Limited
 - v. M/s Kutch Chemicals Industries Limited
 - vi. M/s Mayur Dyechem Intermediate LLP
 - vii. M/s Industrial Solvents & Chemicals Private Limited
- j. In response to the above notification, following importers/users have submitted importer questionnaire responses:
 - i. M/s Bhageria Industries Limited
 - ii. M/s Bodal Chemicals Limited
 - iii. M/s Kutch Chemicals Industries Limited
 - iv. M/s Colourtex Industries Private Limited
 - v. M/s Mayur Dye Chem Intermediates LLP
 - vi. M/s NOCIL Limited
 - vii. M/s Aarti Industries Limited
 - viii. M/s Jemby Chem Limited
 - ix. M/s Bharat Organics Limited
 - x. M/s Nutan Dye Chem Private Limited
 - xi. M/s Remik Chemicals Private Limited
 - xii. M/s Laxmi Organic Industries Limited
 - xiii. The Dyestuffs Manufacturers' Association of India (DMAI)
 - xiv. M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited., and M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited collectively.
- k. The Authority issued Preliminary Findings vide F. No. 6/42/2019- DGTR dated 12th June, 2020. The interested parties were provided an opportunity to submit their comments on the Preliminary Findings.

- l. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 19th October, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- m. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties through emails .
- n. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume and values of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- o. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- p. Information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- q. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April, 2019 to 30th September, 2019 (6 months). The injury examination period has been considered as the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.
- r. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- s. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present Final Findings on the basis of facts available.
- t. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 12th January, 2021. The post Disclosure Statement submissions received from the Domestic Industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Finding Notification.
- u. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- v. “****” in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$ 1= Rs. 70.73.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as: -

“The product under consideration for the purpose of present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil”. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed

to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.

The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214110. The customs classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope.”

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

6. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the PUC:
 - a. The PUC is Aniline, also known as Aniline Oil, which is a transparent oily liquid and is used in drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.
 - b. The product is classified under custom heading 2921 41 10 of the Act.
 - c. The goods produced by the Applicant are like article to the imported goods as they are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable. There is no known significant difference in the technology employed by the Domestic Industry and the producers in subject country.
 - d. Articles produced by the Domestic Industry have 99.8% purity by wt. and with water content of 0.1% by wt. max. As per the brochure shared by Wanhua Chemical Group Co., their product has a purity of more than 99.80% and water content of < 0.10.

C.2. Submissions made by other interested parties

7. The submissions made by the other interested party with regard to the PUC and like article are as follows:
 - a. The level of impurities and moisture content in Domestic Industry's product is much higher as compared to the imported.

C.3. Examination by the Authority

8. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties with regard to the product under consideration related issues are examined and addressed hereunder.
9. The PUC in the present investigation is Aniline which is a basic organic chemical for drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. The product is also called Aniline oil.
10. The Authority has considered the PUC as under:-

The product under consideration for the purpose of present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil”. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.

The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214110. The customs classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope.

11. Some interested parties claimed that the level of impurities and moisture content in the Domestic Industry's product is higher as compared to the imported product. However, no verifiable evidence has been provided by them, nor has the impact of possible difference been quantified and demonstrated. Evidence provided by the Domestic Industry shows that the product manufactured by it has a purity and moisture level equivalent to that with the product supplied by the responding producer.
12. It has been noted from the information available on record that the product produced by the Domestic Industry is like article to the PUC imported from the subject country. The product produced by the Domestic Industry, and subject goods imported from subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and

are using the two interchangeably. The Authority holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

13. The product under consideration is classified under the Chapter Heading 29 under the tariff code 2921 41 10. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

14. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. The Applicant is the sole producer of the subject goods in India.
 - b. The Applicant has not imported the subject goods from subject country and is not related to any exporter in the subject country or importer of subject goods in India.
 - c. The Applicant satisfies the requirement of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

D.2. Submissions made by other interested parties

15. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the scope and standing of domestic industry:
 - a. There was another producer, viz. HOCL earlier. But it has closed its production on account of its working capital and other issues.

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Rules defines Domestic Industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The Application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. From the facts brought forth by the Domestic Industry and other interested parties, it is evident that there is no other producer of the subject goods in India. The Applicant has not imported the subject goods from subject country and is not related to any exporter in the subject country or importer in India.
18. Accordingly, the Authority holds that the Applicant constitutes Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the Domestic Industry

19. The following submissions have been made with regard to confidentiality by the Domestic Industry.
 - a. The Applicant has given justification for claiming costing numbers as confidential.
 - b. Complete information as required by Trade Notice: 10/2018 dated 7th September, 2018 has been provided.
 - c. Reference to the decision in the matter of RIL vs Designated Authority has no relevance here. The Hon’ble Supreme Court had held information cannot be claimed confidential from the party who has supplied the same.
 - d. Information with regard to the capacity of the Domestic Industry as reported on the company website is based on installed operating capacity. However, the Applicant has taken approval for higher capacity from the pollution control board. The capacity reported in the injury statement

is based on capacity as per the consent order issued by pollution control board which is confidential and not available in public domain.

- e. Even respondents have claimed confidentiality on the ground that the information is business sensitive information.

E.2 Submissions made by other interested parties

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality -

- a. Excessive confidentiality has been claimed by the Applicant as it has not provided any information at all in the Section VI of the petition. Since it is a multi-product company, the annual report does not provide information in relation to the PUC. Though, the capacity and capacity utilization of the subject goods are disclosed in the annual report, the same has also been claimed confidential.
- b. Only figures have been claimed confidential, nature of expenses and name of raw material and utilities have been disclosed.
- c. The statement by the Domestic Industry that summarization of information is not possible cannot fulfill legal requirement. It is required to show a good cause for claiming information as confidential.
- d. Jurisprudence on confidentiality has been well settled by the Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries Ltd v. Designated Authority and Ors, reported at 2006 (202) ELT 23 (SC).
- e. Information with respect to capacity, production and capacity utilization is available on the website and the annual report has still been claimed as confidential.
- f. The Domestic Industry has claimed excessive confidentiality with regard to sales realization in Formats L and H.

E.3 Examination by the Authority

21. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed as follows.
22. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”
24. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of

the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.

25. The relevant data required in Format-H are installed capacity, production quantity and capacity utilization percentage for the injury period including POI, which is taken into consideration for optimization of capacity utilization/ production while computing NIP. In addition to it, Format L indicates the NIP claimed by the petitioner. This statement also gives optimum production which is obtained by multiplying the maximum capacity utilization percentage during POI and injury period with the installed capacity during the POI. These are business sensitive information, the disclosure of these would give competitive advantage to competitors. The information has been provided by applicant in accordance with the trade notice no. 14/2018 dated 1st October, 2018.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submissions by the Domestic Industry

26. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic Industry.
 - a. A 6-month POI was proposed for the reason that the import prices from China PR had declined drastically in a very short period. As a result, the performance of the Domestic Industry deteriorated drastically. The other interested parties have not shown how reason given by the Domestic Industry is inappropriate.
 - b. A 6-month POI is in complete consistency with the past decisions and practice of the Authority.
 - c. Claims of the interested parties that there is no justification provided in the preliminary findings issued by the Authority for a 6-month POI are incorrect.
 - d. The Manual only provides guidelines. The final decision is taken by the Authority on case-specific basis, after considering the facts and circumstances.
 - e. There has been an increase in dumped imports which has impacted the performance of the Domestic Industry. The other interested party have not been able to establish how a 12-month period would have eliminated a situation and depicted “true” picture of company’s performance.
 - f. The POI is required in order to determine the existence of dumping. The dumped imports from China have taken place across the complete POI and the Applicant has also sold across the whole period of investigation.
 - g. As regards submissions concerning fluctuation in the price of benzene, it would have affected both the Indian producer as well the Chinese producers and would not have had any direct impact on POI.
 - h. ADD will be levied only to ensure that imports happen at fair prices. Imports in India in the past have happened from various other sources which will always have to keep check on prices of the domestic industry.
 - i. The other interested parties have claimed that it has some information available with respect to the Applicant not being able to provide goods on time but have failed to provide it to the Authority. There is no reason why the Domestic Industry would not provide goods on time.
 - j. The consumers have merrily availed the benefit of low prices at the cost of the Domestic Industry and are now contending that their performance will be adversely impacted if the ADD is imposed.
 - k. As against the submission that duty will be against public interest, it has been contended that duty has been in force for last 20 years in India. The other interested parties have not provided

information on number of Dyestuff producers which have shut down their plants in these 20 years because of the ADD.

- l. The examination of post-POI data is warranted in case of a sunset review investigation and not in any fresh anti-dumping investigation.
- m. There is no basis for the request by the respondent for demanding duty on the basis of quota in the anti-dumping law.
- n. As regards submission that duty has led to increased imports of petrol/gasoline, there appears to be no reason how duty imposed in 2020 could have led to increase in imports in 2019.
- o. Other interested parties have not provided any evidence to suggest that imposition of anti-dumping duty would affect the production of drugs.
- p. Prices of Aniline and benzene have fluctuated violently. The imposition of duty on trigger price basis will not serve the purpose for both the domestic industry and the users.

F.2 Submissions of other interested parties

27. The other interested parties have made the following submissions on various issues:

- a. The Applicant has not brought any substantive evidence to prove condition for initiation of the investigation and has instead exaggerated imports and invented the injury. There are bare assertions and false statement with inaccurate and insufficient data.
- b. The users of Aniline are primarily small and medium scale units working in price sensitive and competitive market. The imposition of ADD will impact it which is already facing slowdown and increased cost of input chemicals.
- c. The POI is a deviation of past practice of Authority. Even in the recently initiated investigation of newsprint, the Authority adopted a 9-month POI when the Applicant had requested for a 6-month POI. The same is also a deviation from the practice followed by other members.
- d. As per para 5.10 of the SOP, POI should be 12 months. No justification has been provided by the Authority.
- e. A 6-month POI has been chosen to hide the effects of shutdown due to maintenance of 27 days by the Domestic Industry in the year 2018-19. As a result, the POI has been left to only for 5 months.
- f. The present case does not reflect the justification to consider a 6-month POI. At least a year period should be taken for considering all cyclic impacts associated with the business to examine injury. No justification has been provided in initiation notification or preliminary finding issued by the Authority for a 6-month POI.
- g. The inappropriateness of POI is also visible from the fluctuating monthly import prices. The Applicant has claimed a decline in the import price in the POI. However, over the POI the price has increased by 6% which shows inappropriateness of shorter period for injury analysis.
- h. The shortage of raw material would lead to disruption in production of downstream products. Duties may be recommended only if the capacities of local producers are sufficient to cater demand.
- i. Downstream products are also manufactured in China PR which are being shipped to India and other customers of Indian producers in the European Union (EU) and Asia.
- j. The effects of Covid-19 pandemic are visible on the dyestuff producers in the SME/MSME sector and any additional duty on the inputs shall lead to permanent closure of many units.
- k. The Applicant cannot cater to the demand and therefore, the imports will continue. The duty would allow the Applicant to manipulate the price and increase its profits.
- l. There is a huge demand-supply gap for the product in India which necessitates substantial imports and any ADD in such case is unjustified.

- m. Since HOCL has closed its production, the users are totally dependent on the capacity of GNFC for many years including the POI.
- n. The short POI does not reflect the true picture of the company's performance. It warrants collection of post period data to make examination more objective.
- o. Probability of distortions in the assessment and determination of dumping, injury and causal link on such a short period is very high and outcomes can be abundantly misleading.
- p. The Domestic Industry has not given reasons in its application nor has the Authority in its initiation notice given reasons for departing from normal 12 month's POI. A period of 6 months or 18 months can only be taken in exceptional circumstances with proper justifications.
- q. The plant of Domestic Industry was under shut down for 2 months during the POI. The working period within the POI was only 4 months.
- r. Protection to the Domestic Industry should be restricted to its capacity to the tune of 40,000 MT and not beyond that. Essential imports should be free of any ADD.
- s. Imports of petrol/gasoline have increased at an alarming rate as the local production become costlier due to duty and has seen a sudden surge of over 2000% over 2019.
- t. The imposition of duty will impact the public interest as the product is necessary for manufacturing certain essential drugs and healthcare components such as paracetamol, tylenol, acetaminophen, and gloves.
- u. The Applicant could easily manipulate the price of the POI in the domestic market if duties are levied.
- v. Dyestuff producers are small and medium scale units which operate in very price sensitive and highly competitive market. Any duty will render this industry unviable leading to shutting down of operation of Dyestuff producers.
- w. The Authority has not identified NOCIL Limited and Aarti Industries Limited in the Preliminary Finding.
- x. The Authority may impose duty in form of either a fixed quota or in alternative on the margin of the injury.
- y. The Authority may fix duty in the form of a trigger price or on variable basis in order to ensure that Domestic Industry does not extract any unfair gain from the duty imposition.
- z. Contrary to the justification given for the POI by the Authority that there is a steep decline in import prices from subject country, the import price has in fact increased.
- aa. The Domestic Industry is using demand-supply gap to achieve supernormal profits. Any fall in profit due to temporary international and internal factors, it applies for dumping duty.
- bb. The Domestic Industry has resorted to monopolistic practices by taking advantage of duties and increasing its prices though benzene prices have declined.
- cc. The Domestic Industry has on several occasions entered into negotiations with users and refused to conclude supplies. In an absence of assured supply at fixed prices from a supplier, end-users cannot rely upon the same supplier and therefore are forced to seek alternative sources.
- dd. Contrary to the claim of the Applicant that there are surplus capacities in China leading to imports in India, imports are due to demand and supply gap and capacities are not surplus, but demand-driven.

F.3 Examination by the Authority

- 28. The Authority has considered the views of interested parties, as under: -
 - a. Regarding the submission of other interested parties on the selection of POI of 6 months, the Authority notes that the adoption of 6 months as the POI is not inconsistent with the Rules.

The Domestic Industry substantiated the need for considering April, 2019 to Sept, 2019 (6 months) as the POI. The Authority accepted the same, being satisfied with the reasons given by the Domestic Industry. The Authority considers that 6 months POI in the present case is appropriate as the decline in import prices from subject country is steep in April-Sept, 19, as compared to the preceding year. The Application in the present case was filed on 27th December, 2019 and therefore, data for the period after September, 2019 was not available at the stage of initiation. The purpose of an anti-dumping investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the Domestic Industry. Thus, the Authority notes that the POI chosen for the case is consistent with the legal position at the time of initiation and the practice being followed by the Authority. It is further noted that the Rules have been amended vide Customs Notification no. 9/2020- customs dated 2nd February, 2020 wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted, incorporating the following provisions:

“The POI shall :-

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

It is noted that the above amendment has been carried out after the initiation of the present investigation. Nevertheless, the Authority had duly considered the justification provided by the Applicant for selection of April, 2019 to Sept, 2019 (6 months) as POI, as mentioned above. The other interested parties have not brought any substantial evidence to show that a 6-month POI is not justified for the present investigation and considering a 12-month POI would have shown a different scenario.

- b. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar a Domestic Industry from seeking redressal from dumped imports. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at undumped prices. Even after the imposition of ADD, the imports are not restricted in the country. Therefore, there is no basis for the claim that imposition of ADD can lead to shortage of the raw material for the downstream industry. The Authority notes that imposition of ADD provides a level playing field and does not prevent fair competition in the market. The Authority also notes the submission of the Domestic Industry that Aniline is produced and exported by many countries. The users are free to import the subject goods from any source.
- c. The Authority notes that the present investigation is for Aniline and not for its downstream product. The import of downstream product of Aniline does not affect the present case.
- d. The Authority notes that the investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant.
- e. It has been claimed that the plant of the Domestic Industry was shut down for a few months due to which the working period within the POI was curtailed. It is noted that the Domestic Industry suspended its operations when it was left with significant inventories due to decline in sales. During the period of suspension of production, the Domestic Industry continued to sell goods in the domestic Indian market and imports continued to happen. Therefore, there is no reason the operating period has been left restricted to only a few months. In fact, dumping is quite likely to create a situation where some Domestic Industry may be forced to suspend production and may go completely out of business for the majority or entirety of the investigation period. That does not, however, mean that the Domestic Industry in such a situation cannot request imposition of ADD.
- f. It is noted that since the Domestic Industry had inventories, it should not have faced issues in supplying the goods. In the absence of any verifiable information regarding Domestic Industry facing issues in supply of goods, impact of the submission on the present investigation remained unestablished.

- g. As regards the supply of goods at fixed prices, it is noted that the prices of the feedstock in the production of subject goods is very volatile. In such a case, it is quite likely that producers are not able to supply goods at fixed prices. In any case, the issue is not relevant to decide whether the goods were sold at dumping prices and whether such dumping caused injury to the Domestic Industry.
- h. As regards the submission that the imposition of ADD will be against public interest, no verifiable evidence has been provided. ADD has been imposed on the imports of subject goods in past. The purpose of duty is not to stop imports, but to ensure that they enter at fair and non-injurious prices. Further, even in the past, there have been imports from various sources. The users are free to import from any source. Further, the users can seek review of the present ADD under Rule 23 in case there is no continued justification for imposition of the same.
- i. As regards the submission that imports of petrol/gasoline have increased after 2019, it is noted that same pertains to the period when the duties were not in force and, therefore, the increase in imports cannot be linked to the duty imposed.
- j. As regards the contention of the parties about the form of duty, the Authority notes that as per the Rules, the mandate of the Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of ADD, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority notes that the form of duty is determined after evaluating all facts relevant for the present investigation and the form of duty shall depend on such facts.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

29. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
 - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

G.1 Submissions of the Domestic industry

30. The submissions made by the Domestic Industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- a. The normal value of Chinese producers cannot be accepted unless the producers show that their accounts reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration, having regard to the provisions of Rule 7 and 8 of the Rules, provisions of Accession Protocol of China, and the practice being followed by the Designated Authority.
- b. The normal value needs to be determined based on the surrogate country.
- c. Barring China and the EU, the number of producers of the subject goods in other countries are very few.
- d. The production capacity in the EU is almost at the same level as in China.

- e. Only exports from the EU are more than 5% of exports to India.
- f. Even on a comparison of GDP and GNI, there is no country except the EU which can be considered as an appropriate surrogate country.
- g. The EU can be considered as an appropriate surrogate country for the purpose of determination of normal value.
- h. Exports from Belgium to Germany constitute evidence of price of Aniline in a market economy third country.
- i. The dumping margin is positive and significant.
- j. If the respondent wanted to claim normal value on the basis of its cost and prices, Chinese producers should have filed questionnaire response on market economy issued by Authority. Unless the respondent establishes market economy conditions, prices in China PR cannot be accepted.
- k. Provisions of Article 15(a)(ii) have already expired. But provisions of Article 15(a)(i) are still applicable and must be considered for determination of normal value in China PR.
- l. The Applicant has established the level of development in terms of the PUC is similar and no other country has level of development similar to the level of development of China PR. There is no country other than the EU which could have been considered as a surrogate country.
- m. Prices from Belgium to Germany is a representative of intra EU price which can be considered as prices prevailing in European region.
- n. Normal value on the basis of price paid or payable also establishes significant dumping.
- o. If the only reason of low cost was due to the fact that the plant of Wanhua are with latest development in technology which gives better yield performance, the responding producer should have claimed market economy treatment and claimed its own normal value.

G.2 Submissions made by other interested parties

31. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a. The Normal value cannot be adopted on the basis of selling price from Belgium to Germany as it does not fulfil the requirement of Rule 7 – second option. An option could have been price from Belgium to countries including India as a basis of normal value.
 - b. The price from Belgium to Germany amounts to intra-county price and cannot be seen as price in the EU. The price considered is very high as compared to prices prevailing in the EU.
 - c. It is inappropriate to consider the EU as a surrogate country. The Applicant has failed to put proper claims as permissible in law.
 - d. The Authority is requested to reconsider various propositions of the Applicant concerning normal value, presuming that Chinese producers may not be able to satisfy ME conditions.
 - e. The Authority has issued a separate questionnaire to exporters from China PR seeking voluminous information from exporters with regard to market economy.
 - f. India must fulfil its obligation to WTO and recognize China PR as a market economy status. The surrogate country methodology for China PR expired from 11th December, 2016. After the expiry of China's accession to WTO, it must be treated in the same way as any other WTO member and regardless of the domestic law of a particular member, imports from China PR must be demonstrated on the basis of Chinese prices and costs.
 - g. In the EU, most Aniline producers are also MDI manufacturers. Covestro has Aniline plants in Belgium and Germany and MDI plants in Germany and Spain. Covestro has to transfer Aniline from Belgium to Germany or Spain for MDI manufacturing. Such transfer price shall not be deemed as market price as Aniline is transferred within Covestro Group between affiliated parties. A similar situation applies to BASF, DOW, Huntsman and Borsod chem, except for

CUF. The normal value cannot be considered on the basis of the transactions between related entities.

- h. CUF is the only producer of Aniline in the EU which does not have MDI plant, hence Aniline cannot be transferred within CUF or its related parties which might be located in different countries unlike Covestro, BASF, DOW, Huntsman and Borsod chem do. CUF plant is located in Portugal only. For the purpose of normal value, sales of CUF (producer) by Portugal to Germany can be relied upon at best.
- i. Para 13.18.2 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations states that an appropriate surrogate country may be relied after considering the level of development of country and PUC. The levels of development of Belgium and Germany are inconsistent.
- j. There is a significant difference in the per capita income, GDP, GDP per person, consumer spending, GDP real growth rate, economy growth rate, economy growth, world trade growth and population between the two countries and hence they are not comparable.
- k. On the basis of data presented in the application, there is a significant difference between the quantity and price of imports from China PR and the EU in India.
- l. If the Authority does not agree with the submissions that Portugal to Germany prices should be considered as normal value, it is requested then that normal value for China PR can be constructed as per Para 7 of Annexure 1 of Rules. For this purpose, international prices of Benzene can be considered, the consumption factor of raw material can be considered for participating producer, utilities cost can be worked out with the prevailing prices in China and interest rate as prevailing in the international market including China may be considered. A reasonable profit may also be added for the product under consideration exported to India from China.
- m. The normal value for China PR must be determined on the basis of Chinese prices and costs. It may be constructed by considering international prices of raw material, consumption norms for participating producers, utilities cost on prices prevailing in China PR and interest rate as prevailing in international market including China PR.
- n. Section 15(a) (ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World Trade Organization expired on 11th December, 2016. India no longer has a legal basis under the agreements of the World Trade Organization to calculate normal value in anti-dumping investigation of Chinese products using the non-market economy methodology.
- o. Plants of Wanhua are with latest development in technology which give better yield performance and reduce the cost of production.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Determination of normal value and export price.

Market Economy Status for Chinese Producers

32. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot

clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

33. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted a response to the questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
34. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country has been determined as below.

Normal Value for all Producers in China PR.

35. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

36. The Authority had also sought comments from the other interested parties on EU as a surrogate country for China. The extract of initiation notification is as under-

9. All interested parties are advised to offer their comments on this issue within 30 days from the date of issuance of initiation notification. Pending detailed examination of the Page 3 of 6 claim of EU as a surrogate country for China for this investigation, the Authority, for the purpose of initiation of the present investigation, has taken the selling price from Belgium to Germany for determining the normal value of China PR.

37. With regard to comments from the other interested parties on the EU as a surrogate country for China, it is noted that within the time line of 30 days given by the Authority in the initiation notification, none of the interested parties gave their comments on the proposition of considering EU as a surrogate country for China. However, the Dyestuffs Manufacturers' Association of India (DMAI) and Wanhua Group have raised concerns over the proposed methodology, after the given time period.
38. One of the interested parties has contended that the normal value in the instant case should be determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted.
39. Since there are rival submissions with regard to consideration of the EU as an appropriate market economy third country and the Domestic Industry too has also not brought sufficient evidence to consider the EU as an appropriate surrogate country, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

Determination of Export Price

For M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited, M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co. and M/s Kempar Energy Pte. Limited, Singapore.

40. The Authority notes that following producers/exporters have filed questionnaire responses:
- M/s Wanhua Chemical Group Co., Limited (Wanhua)
 - M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Limited, Hong Kong.
 - M/s Kempar Energy Pte. Limited, Singapore.
 - M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Limited
 - M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited
 - M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited
41. It is noted that M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., (producer/exporter) is a producer of the subject goods in China PR, and has exported the subject goods through related and unrelated traders to customers in India during the POI. The responding producer/exporter has given details of the exports of subject goods to India in Appendix 3C of the exporters' questionnaire response. The responding producer/exporter has also clarified that Appendix 3A is not applicable in their case because there are no direct sales to Indian customers. It is noted from the response that M/s Wanhua Chemical Group Co., Ltd., has exported *** MT subject goods to India through M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd., Hong Kong (Trader). M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd., Hong Kong, has in turn exported the same to India through M/s Kempar Energy Pte. Ltd., Singapore. The other related producer M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Limited has not exported the subject goods to India during POI directly or through its related traders. It is further noted that M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Ltd., M/s Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd., and M/s Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Limited, are not involved in exports to India.
42. For the exports to India, the producer/exporter has claimed adjustments on account of port and other related expenses, transportation via ship and Non-Refundable VAT. Further, bank charges and credit expenses claimed by the related exporter M/s Wanhua Chemical (Hong Kong) Co., Ltd., Hong Kong have also been considered to arrive at ex-factory export price. The Authority has relied upon the details of the exports given in the questionnaire response filed by the producer/exporter after desk verification of information. The adjustments towards port and other related expenses, transportation via ship and Non-Refundable VAT, bank charges and credit expenses of the trader have been accepted. Accordingly, the Authority has determined the net export price, as mentioned in the dumping margin table below.

For all other producers/exporters from China PR

43. The export price for all other producers and exporters who has not participated in the present investigation has been determined as per facts available considering after allowing due adjustments

for ocean freight, marine insurance, credit cost, inland & port charges and VAT refund and the same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.2 Dumping Margin

44. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins have been determined as follows:

Country	Name of Producer	Normal Value/ CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	***	***	***	***	30-40
	Other Producers	***	***	***	***	30-40

H. INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions made by the Domestic Industry

45. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to injury and causal link:
- The demand of the subject goods has declined in the POI. However, the demand is still more than the capacity and hence fall cannot cause injury to the Domestic Industry.
 - The imports of the subject goods have increased significantly from the subject country in absolute terms and in relation to production and consumption.
 - The import prices have steeply declined in the POI.
 - The subject imports are undercutting the prices of the Domestic Industry.
 - The selling price of the Domestic Industry has declined whereas the cost of sales of the Domestic Industry has increased.
 - The imports have depressed the prices of the Domestic Industry.
 - The capacity utilization of the Domestic Industry is low.
 - The production and the sales of the Domestic Industry have seen a fall of more than 51% and 43% as compared to the base year.
 - The profitability of the Domestic Industry has been severely impacted in the period of investigation as it is running in losses.
 - Cash profits and the return on investment of the Domestic Industry have turned negative in the POI.
 - The Domestic Industry has lost its market share of around 28% over the injury period. The market share of the subject country imports has taken an increase from around 46% to 78%.
 - The average inventories with the Domestic Industry are significant representing around ***% of the annual sales value.
 - The Domestic Industry has recorded a negative growth in all the parameters.
 - The subject imports have increased at an alarming rate threatening to cause further injury.
 - There are significant capacities with the producers in the subject country.
 - The imports have had a depressing effect on the prices of the Domestic Industry and are likely to make way for an increase in demand of the subject imports.

- q. The Domestic Industry could have produced and sold to the extent of past had there been no dumped imports from the subject country.
- r. The Domestic Industry was faced with rising inventories and was twice in the period of investigation forced to curtail its production.
- s. There was a scope of increase in all the volume parameters of the Domestic Industry, but all the parameters show a decline.
- t. Against a total capacity of 4,036k MT in China, as per Applicant's estimates total consumption in China, Japan and Korea amounts to around only 2,374k MT. The capacities installed in China are significantly excessive as compared to the demand in its nearby region.
- u. The cost of Benzene in Aniline in the POI fell only by 12%; however, the import prices of Aniline from China fell by around 27% which shows that the fall in import price from China is significantly more than fall in the price of benzene.
- v. The history of trade remedial investigations shows that the Domestic Industry's performance has always been vulnerable to low priced dumped imports.
- w. The increase in imports over the injury period is significantly higher than the increase in demand. Had the increase in demand been the reason, imports from other countries would have also increased, but they have declined.
- x. While the demand has declined in period of investigation, imports from the subject country has increased.
- y. The landed price of imports from the subject country is significantly below the non-injurious price which shows that price at which the imports have entered is injurious to the Domestic Industry.
- z. Significant volumes at low prices from subject country are preventing the Domestic Industry from achieving and maintaining optimum capacity utilization.
- aa. The Applicant has established a causal link between the dumped imports and material injury to the Domestic Industry.
- bb. Raw materials have been procured from unrelated party at market prices.
- cc. The Domestic Industry is required to be considered as it exists and not in ideal conditions.
- dd. Submissions of other interested parties that injury is due to other factors is mere conjecture. No substantive evidence has been provided to show that alleged injury may be due to some other factor.
- ee. Interested parties have not even identified any particular factor and have merely resorted to conjectures "might have", "reasons not known to us".
- ff. The Authority is only required to identify whether listed factors have caused injury and if they have not caused injury, it is then required to consider only such other factors as are identified by a party, shows its existence, establishes its relevance and quantifies its impact.
- gg. Export sales of the applicant are insignificant in volume. The reference to any injury submission by the interested parties on them should hold no relevance.
- hh. As regards submission that selling price and cost are affected due to low production, selling price has no nexus with the decrease in production and significant share of cost consists of cost of raw material and utilities which are variable in nature. The fall in production would not have had any major impact on the cost of Domestic Industry.
- ii. The Applicant is operating at an abysmally low level of capacity utilization and is in losses due to the dumped imports from China PR. With the same plant capacity, the Domestic Industry has been able to run its operations profitably in past. If the Domestic Industry is now suffering losses, it cannot be due to low plant size.
- jj. As regards the contention that there is a minor fall in profits, it is not a question of fall in profits, but a situation of significant financial losses.

- kk. Prices of the Domestic Industry are not governed by international factors, but by prices of goods in market and raw material prices in India. Because of dumped imports from China, the Domestic Industry has been unable to charge remunerative prices.
- ll. While price undercutting is a function of selling price and landed price of imports, profitability is a function of selling price and cost of sales. There is no reason to link both of them.
- mm. In all the previous years, the landed price was above cost of sales, whereas the landed price was much lower than the cost of sales in the POI.
- nn. The market share of Domestic Industry has declined in the POI and the same has been taken over by dumped imports from China PR causing injury the Domestic Industry.
- oo. The argument that the applicant is facing constraints in procurement of Benzene is incorrect. The document relied upon by the respondent does not pertain to the POI. Notice asking for bids is a routine business practice and it does not mean that it is facing constraints in procurement of raw material. Contrary to the submission of the respondent, the prices of benzene have declined.
- pp. On the submission of cost of exporter being low due to natural gas, the Authority may ask the respondent to kindly quantify low cost due to natural gas used by the exporters as per the complete chain from Ammonia to Aniline.
- qq. On the submission that Domestic Industry denied supplies, the Domestic Industry is operating with surplus inventories and idle capacities. There is no reason why the Domestic Industry would refuse supplies unless prices offered are significantly loss-making prices.
- rr. On the Domestic Industry increasing its prices in the post-POI it is submitted that Benzene prices have also increased.
- ss. As regards the submission that the Domestic Industry cannot provide subject goods at fixed prices, benzene prices are not fixed over the period. Therefore, no producer of Aniline will supply the product at a fixed price.
- tt. The Domestic Industry was forced to shut down its production due to piling up of huge inventories. The Domestic Industry had sufficient inventory to supply in the market. The Applicant cannot be expected to continue production even in a situation where it is left with huge inventory due to unremunerated prices.
- uu. As regards the submission that the Domestic Industry has claimed both material injury and threat of injury, there is no limitation under the Rules in this regard.
- vv. Against the submission that the Domestic Industry was not producing for a period of 2 months, the Domestic Industry suspended production not because there were technical constraints for production of Aniline but the fact that the Applicant could not match its prices with the prices of dumped material.

H.2 Submissions made by other interested parties

46. The submissions made by the interested parties with regard to injury are as follows:

- a. When price undercutting was at highest level, the Domestic Industry was earning very good profits. However, when the price undercutting at the lowest level, it has suffered losses. This shows that there is no correlation between price of imports and profitability.
- b. Around 70,000-75,000 MT of subject goods is imported because the production capacity in India is lower than the demand in India.
- c. Imports are made from China as they are most competitively priced because of economies of scale.
- d. The fact that the Domestic Industry was making high profits when undercutting was 10-20% in the base year and made losses when it was 0-10% in the POI shows the distortion on account of less than 12 months of POI.
- e. Price undercutting was negative for at least 2 months in the POI which shows that landed price of imports is not a factor of injury and losses cannot be on account of pressure of imports.

- f. The Domestic Industry was operating at capacity utilization around 108% in 2018-19 and 119% in the POI. Even after a dip, it would have been at a very reasonable level. Further, slight correction from the past high numbers is not a situation suggesting injury.
- g. Temporary movements in prices due to economic slowdown, fluctuations in input cost based on crude, etc. cannot be termed as injury to impose ADD for another 5 years.
- h. Injury could be self-inflicted and could be caused due to shut down by the Domestic Industry.
- i. A sudden decline in the economic trend during the POI raises serious questions about the data as everything was normal in the injury period between 2016-17 to 2018-19
- j. There is a decline in both the domestic sales (43%) and the export sales (33%) in the POI as compared to the base year which shows that injury may be due to some other reason.
- k. The increase in cost of sales and decrease in selling price is due to low production and capacity utilization, not due to imports from subject country.
- l. Article 3.5 of the Agreement requires the Authority to examine factors other than dumping causing injury.
- m. The Appellate body in US-Hot Rolled Steel, ruled that the examination by panel in US-Norwegian Salmon AD was erroneous (Panel in US Atlantic had held that there is no need to isolate the injury due to the other factors)
- n. The application fails to address a number of issues which have an impact on the performance of the Domestic Industry.
- o. The Applicant may have accumulated Benzene or have any long-term contract for supply at high price, as when price of Benzene has declined by around 24%, cost declined only by 4%.
- p. With the increase in the price of Benzene, the landed value of Aniline from China increased earlier and when the prices have declined in 2019, the landed value of Aniline has also declined.
- q. There are reasons other than imports from subject country which might have caused injury to the Domestic Industry. Due to lack of information available in the public domain, other interested parties cannot substantiate it. The application also fails to address injury suffered due to other factors.
- r. The applicant is trying to mislead the Authority by fabricating injury. In order to conceal them, the Applicant has opted for small period of investigation.
- s. There is a decline in both domestic and export sales of Domestic Industry which shows that the reason for decline in sales is not imports from subject countries but the other inherent problem.
- t. An increase in cost of sales and decline in selling price is due to the low capacity utilization and decrease in production.
- u. The Domestic Industry was operating at 108% capacity utilization and could meet only 35% of the Indian demand. At such high capacity utilization there cannot be any volume injury in actual terms and indexed numbers are highly misleading.
- v. The Domestic Industry is still operating at the same capacity at which it started production and has not increased it though demand has been growing in the past two decades.
- w. The Domestic Industry should establish higher capacity/ economies of scale before seeking further protection after having availed the benefit of anti-dumping duty for many years.
- x. The Applicant has claimed that there is steep decline in prices during the POI but monthly price during the POI shows an increasing trend.
- y. The Domestic Industry was making high profits when price undercutting was in the level of 10-20% in base year and made losses when it was 0-10% in the POI.
- z. A slight correction from the high past volume parameters achieved through monopolistic position is not a situation suggesting injury.

- aa. A negative return on capital employed from a healthy level could be due to a dip in short-term headwinds.
- bb. Decline in productivity shows that the Domestic Industry has failed in effective manpower management. The effect of the same is being attributed as injury due to imports.
- cc. The Domestic Industry has been consistently operating at a high capacity utilization. Even in the POI of only 6 months, capacity utilisation is 60%.
- dd. The Domestic Industry has been able to easily sell all its production and even in the POI, it has sold around 60% of production in domestic market.
- ee. Imports from the subject country have taken up the market share of other countries and any decline in the market share of the Domestic Industry is only due to a stagnant capacity.
- ff. A decline in landed prices is commensurate with the decline in raw material prices.
- gg. The trend of selling price and landed price of the subject goods from China has been identical.
- hh. An increase in inventories is due to an increased focus of the Domestic Industry on exports.
- ii. The Domestic Industry suffers on account of self-inflicted limitations. It produces ammonia in the manufacture of Aniline from fuel oil which is costlier as compared to Natural Gas used by the exporters.
- jj. When the Domestic Industry was under shutdown for two months and the performance parameters are bound to be distorted.
- kk. An increase in imports is mainly due to decrease in import from other countries and market share of the Domestic Industry has constantly decreased due to limited capacity.
- ll. Most of the injury parameters of the Domestic Industry were constantly increasing as compared to the base year barring the POI.
- mm. The claim of the threat of material injury assumes absence of the current injury to the Domestic Industry and the claims have not been substantiated by any facts and is based on assumptions and conjectures.
- nn. Asian Benzene prices have increased again due to a shortage of supply. The Applicant has also faced constraints in procurement of Benzene in the POI.
- oo. Any fall in sale during the POI was due to supply issues due to shutdowns and imports did not take away its share.
- pp. Aniline prices moved as per the trend of key raw material prices only and to see any reliable trend in this regard, the Authority must consider price of Aniline and Benzene for at least 12 months.
- qq. Price of Aniline which fell for a short period has been on a rising trajectory immediately.
- rr. GNFC never cared for the users and want duties to rig the market by taking advantage of the demand supply. No ADD should be imposed unless GNFC increases the capacity so that the users are not dependent on imports.

H.3 Examination by the Authority

47. Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effects on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

48. Since the POI is not of 12 months, in order to ensure that the actual/indexed figures are directly comparable with preceding years, the actual/indexed data has been “annualised” and mentioned in these Final Findings. Since the POI in the present case is six months, the figures have been multiplied by 2 to make them comparable to the previous years. For this reason, the indexed figures for the POI actual and annualised show the same figures in these Final Findings.

H.3.1. Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

49. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Sales of Domestic Industry	MT	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
Trend	Indexed	100	99	84	57	57
Subject Imports	MT	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
Trend	Indexed	100	121	165	231	231
Other countries imports	MT	4,127	16,441	21,370	823	1,645
Trend	Indexed	100	398	518	40	40
Total demand	MT	86,253	1,06,697	1,22,931	59,542	1,19,083
Trend	Indexed	100	124	143	138	138

50. The demand for the subject goods has increased over the injury period with a marginal decline in the POI.

b. Increase in imports from the subject country in absolute and relative terms

51. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Imports from China PR	MT	40,523	48,918	66,748	46,767	93,534
Import from Other Countries	MT	4,127	16,441	21,370	823	1,645
Total imports	MT	44,650	65,358	88,118	47,590	95,179
Subject Imports in relation to						
Total imports	%	91%	75%	76%	98%	98%
Indian Production	%	98	117	176	462	462
Trend	Indexed	100	119	180	472	472
Indian Demand	%	47%	46%	54%	79%	79%
Trend	Indexed	100	98	116	167	167

52. It is noted that the subject imports have increased significantly in absolute terms over the injury period. The subject imports have also increased in relative terms. The imports have increased in relation to total imports, production and consumption in India. Further, imports show an increase as compared to both the base year and the immediate previous year. It is further noted that the subject import have shown massive growth in relation to the Indian production as compared to both the base year and the immediate previous year.

H.3.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

53. With regard to the effect of the dumped on the prices of the Domestic Industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price Undercutting

54. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	121	91	91
Landed Price	₹/MT	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
Trend	Indexed	100	138	136	100	100
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

55. It is seen that the imports from subject country are entering at a price below the domestic selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting.

b. Price Suppression and Depression

56. In order to determine whether the imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports was to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared alongwith import prices.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	118	113	113
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	121	91	91
Landed Value	₹/MT	69,424	95,464	94,632	69,255	69,255
Trend	Indexed	100	138	136	100	100

57. The following is observed:

- Imports from the subject country were earlier at a price above cost of sales of the Domestic Industry upto 2018-19. However, imports were at a price below cost of sales of the Domestic Industry in the POI. It is also noted that from 2017-18, there has been a significant decline in the selling prices of subject goods while cost of sales increased.
- Whereas cost of sales, selling price and import price declined in POI, the decline in landed price of imports was far higher and significant as compared to cost of sales.
- Thus, the imports of subject goods from subject country has prevented price increases which otherwise would have occurred due to increase in cost of production. The Domestic Industry has suffered price suppression on account of import of subject goods from subject country. Further, the subject imports have depressed the prices of the domestic industry to a very significant extent.

Price underselling

58. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the POI, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

SN	Particulars	Unit	POI
1	Landed Price	Rs/MT	69,255
2	NIP	Rs/MT	***
3	Price underselling	Rs/MT	***
4	Price underselling	%	***
5	Price underselling	Range	0-10

59. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject country was lower than the NIP determined for the Domestic Industry. The price underselling for China PR is positive and significant.

H.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

60. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sale

61. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	101	91	49	49
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	91	49	49
Domestic Sales	MT	41,604	41,339	34,813	11,952	23,904
Trend	Indexed	100	99	84	57	57

62. It is seen that

- The capacity of the Domestic Industry has remained constant over the injury period.
- The production and capacity utilization of the Domestic Industry marginally increased in 2017-18, but declined thereafter, with a significant decline in the POI. Considering the demand and supply gap, the Domestic Industry could have produced more.
- The sales of the Domestic Industry declined throughout the injury period, with a significant decline in the POI
- Exports sales of the Domestic Industry are insignificant in volume.

63. It is thus seen that production, capacity utilization and sales of the Domestic Industry declined in 2018-19 and thereafter in the POI. The decline in these parameters is quite significant and the same appears to be a consequence of increase in imports from subject country.

b. Market Share

64. The market share of the Domestic Industry over the injury period is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Domestic Industry	%	48%	39%	28%	20%	20%
Trend	Indexed	100	80	59	42	42
Subject Imports	%	47%	46%	54%	79%	79%
Trend	Indexed	100	98	116	167	167
Other countries	%	5%	15%	17%	1%	1%
Trend	Indexed	100	322	363	29	29
Total	%	100	100	100	100	100

65. It is seen that the market share of the Domestic Industry has consistently declined over the injury period. The market share of the Domestic Industry declined by 58 basis points over the injury period, when the share of subject imports in demand increased by 67 basis points over the injury period. The market share of all other countries also declined over the period. As regards the contention that the increase in market share of subject country is due to decline in market share of other countries, it is noted that the increase in market share of subject country is more than the decline in market share of all other countries.

c. Profitability, return on investment and cash profits

66. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period are given in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	118	113	113
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	121	91	91
Profit per unit	₹/MT	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Trend	Indexed	100	205	132	(26)	(26)
Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	203	111	(15)	(15)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	202	110	(14)	(14)
Profit before Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	198	107	(14)	(14)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	204	106	(18)	(18)

67. It is seen that:

- The Domestic Industry was earning profits till 2018-19. While profit per unit increased in 2017-18, the same declined in 2018-19, and thereafter in POI. Profitability of the Domestic Industry declined so significantly in the POI that the Domestic Industry suffered financial losses in the POI.
- The cash flow and return on investment followed the same trend as that of profits. The cash profits and return on investment increased in 2017-18 and declined thereafter till the POI so significantly that the Domestic Industry suffered cash losses and negative return on investment in the POI.

d. Employment, Wages and Productivity

68. Employment, wages and productivity of the Domestic Industry over the injury period are given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	104	103	103
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	129	104	104
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	91	49	49

69. It is seen that performance of the Domestic Industry has not changed significantly in respect of employment and wages. The productivity per day has declined in the POI because of decline in production.

e. Inventories

70. The inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	26	380	479	479

71. It is seen that the average inventories with the Domestic Industry have increased significantly in last two periods including the period of investigation as compared to the first two periods of the injury period.

f. Growth

72. The growth of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table-

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI Annualized
Production	Y/Y	1%	-10%	-46%
Domestic Sales	Y/Y	-1%	-16%	-31%
Capacity Utilization	Y/Y	1%	-10%	-46%
Average Inventory	Y/Y	-74%	1362%	26%
Market Share of DI	Y/Y	-20%	-27%	-29%
Profit/(Loss)	Y/Y	103%	-46%	-113%
Cash Profit	Y/Y	102%	-45%	-112%
PBIT	Y/Y	98%	-46%	-113%
Return on Capital Employed	Y/Y	104%	-48%	-117%

g. Magnitude of Dumping Margin

73. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

h. Ability to Raise Capital Investment

74. The Domestic Industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the Domestic Industry because of the imports, the operations of the industry have been impacted which has affected the ability to raise capital investment. However, it may be added that the Domestic Industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product under consideration (PUC) alone.

i. Factors affecting domestic prices

75. The import prices are directly affecting the prices of the Domestic Industry in the market. It is noted that the landed value of the subject goods from subject country is not only below its net selling price but also the non-injurious price of the Domestic Industry. Further, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry leading to financial losses. The imports of subject goods from third countries are negligible in volumes and not injuring to the Domestic Industry. The demand for the product under consideration is far higher than the capacities in the country and cannot be the reason of injury to the Domestic Industry. Dumped imports are impacting the prices of the product in the market. Thus, it is noted that the principal factor affecting the domestic prices is the landed price of dumped imports of subject goods from the subject country.
76. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other Interested parties on injury and causal link, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the preceding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
77. It is seen that the growth of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment was adverse and negative in the POI.
78. As regards the contention that there is no co-relation between price undercutting and profits, the Authority notes that positive price undercutting does not always mean that the Domestic Industry performance should always decline. Further, a high price undercutting implies that the selling price of the Domestic Industry was higher than the import price. It is noted that during the POI, because of

steep decline in the import price, the domestic industry has been forced to reduce its selling prices significantly. Further, despite reducing prices, the Domestic Industry has lost significant sales volumes. Decline in sales volumes despite reduction in selling price because of price undercutting and consequent increase in import volumes shows that the Domestic Industry reduced its prices, and still lost volumes, while subject imports were undercutting the Domestic Industry prices and their import volumes also increased.

79. As regards the contention that Chinese imports are due to economies of scale leading to competitively priced, the Authority notes that the dumping margin is positive considering the normal value as proposed by the Applicant, and the constructed normal value (CNV) as determined by the Authority. This fact shows that subject imports have entered into this country at dumped prices.
80. As regards negative price undercutting in at least two months of the POI, the Authority notes that the price undercutting is required to be determined for the investigation period. It is quite possible that price undercutting is positive in some import transactions or months and negative in some other import transactions or months. The Authority is, however, required to determine weighted average price undercutting for the entire investigation period.
81. As regards arguments about lower production capacity of Domestic Industry, it is noted that the capacity utilisation of the Domestic Industry declined by about 50% over the injury period which is quite significant.
82. As regards fluctuations in input cost based on crude, etc., the Authority notes that no verifiable information has been provided showing that such factors affected export price and did not affect normal value.
83. As regards alleged plant shut down, it is seen that production and capacity utilisation of the Domestic Industry declined by about 50%. Further, the Authority examined the trend of inventories with the domestic industry. It is seen that the Domestic Industry invariably had inventories throughout the period thus clearly showing that the decline in sales is not due to possible absence of production.
84. As regard the contention that the deterioration is only in the POI, the Authority notes that the performance of the Domestic Industry deteriorated even in 2018-19 in respect of production, capacity utilisation, domestic sales, market share, profit per unit, total profit, cash profit, inventories. The deterioration that started in 2018-19 continued further and intensified in POI.
85. The other interested parties have claimed that the Applicant may have purchased Benzene at higher prices as its cost has not declined with decline in price of Benzene. Further, it has also been claimed that the Domestic Industry uses ammonia in the manufacture of Aniline which is costlier as compared to Natural Gas used by the exporters. Under the Rules, the Authority is required to consider the Domestic Industry as it exists and examine whether the performance of the Domestic Industry deteriorated over the injury period. It is noted that cost of Benzene has been taken as per the books of accounts maintained by the company. It is further noted that fluctuation in the prices of raw material is a global factor and not peculiar to Indian market only and so would have affected the producers in the subject country as well. It is also noted that the Domestic Industry is expected to adjust its prices of domestic like product, in accordance with the fluctuations in the prices of raw material. However, the Domestic Industry was prevented from adjusting its prices because of the presence of dumped imports from China which were depressing and undercutting its prices.
86. The Authority has taken note of the trend of raw material prices over the injury period. It is seen that the fall in landed price of subject goods from China is more than fall in raw material prices. The landed price of imports from China have decreased sharply in the POI.
87. As regards submission of other interested parties on the exports of the Domestic Industry, it is seen that the exports undertaken by the Domestic Industry are very insignificant in volume.
88. In relation to submission that low market share of the Domestic Industry is due to limited capacity, it is noted that the Domestic Industry was operating with idle capacity in the period of investigation and it was forced to suspend its production due to surplus inventories. Therefore, fall in market share of the Domestic Industry cannot be attributed to capacity of the Domestic Industry. It is also noted that with significant inventories with the Domestic Industry, there appears no reason why the Domestic Industry would have not supplied the goods in the market.

89. Interested parties have argued that injury to the Domestic Industry could be due to some other reason. It is noted that the other interested parties have not brought forward any evidence of other factor which could have caused injury to the Domestic Industry. In the absence of verifiable evidence, the Authority has examined other known factors listed under the Rules to consider whether injury to the Domestic Industry is caused due to any other factor.

I. INJURY MARGIN

90. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
91. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
92. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Name of Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	***	994.19	***	***	0-10
	Others	***	909.30	***	***	10-20

E. EXAMINATION OF INJURY

93. The examination of the imports of the subject product and performance of Domestic Industry shows that the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and demand in India. The imports are undercutting the prices of the Domestic Industry, and the price underselling is also positive. The imports of subject goods from subject country has prevented price increases which otherwise would have occurred due to increase in cost of production. The Domestic Industry has suffered price suppression on account of import of subject goods from subject country. Further, the subject imports have depressed the prices of the Domestic Industry to a very significant extent.
94. It is also noted that production, capacity utilization and domestic sales of the Domestic Industry declined over the injury period, with significant decline in the POI. The market share of the Domestic Industry has declined over the injury period with significant decline in the POI. At the same time, the market share of subject imports from subject country has increased significantly. It is also noted that the Domestic Industry is faced with significant inventories.
95. The profitability of the Domestic Industry declined significantly over the injury period, and the Domestic Industry suffered financial losses in the period of investigation. The performance of the Domestic Industry deteriorated in respect of cash flow, PBIT and return on investment. The Domestic Industry suffered cash losses and negative return on investment in the period of investigation. Further, growth of the Domestic Industry became negative in the POI in respect of a number of injury parameters.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

96. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

97. The other interested parties have submitted that the injury suffered by the Applicant is due to other reasons and not due to the imports from the subject country. The Authority notes that the interested parties have not presented any verifiable evidence establishing that the Domestic Industry has suffered injury due to factors other than dumped imports. Even though the claims made by the opposing interested parties are mere assertions, the same have been examined based on information available on record.

a. Volume and prices of imports from third countries

98. Imports from subject country account for around 98% share in the imports. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

b. Demand for the product

99. The demand of the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in the POI when compared to the preceding year. However, demand in the POI was significantly higher than the demand in base year. The decline in demand cannot be a reason for the injury suffered by the Domestic Industry.

c. Export performance of the Domestic Industry

100. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the Domestic Industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the Domestic Industry.

d. Developments in technology

101. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e. Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry

102. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

f. Changes in the pattern of consumption

103. There have been no material changes in the pattern of consumption of the PUC. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

g. Conditions of Competition and Trade restrictive practices

104. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

105. Post-disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties, including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

J.1 Submissions of the Domestic Industry

106. The following submissions have been made by the Domestic Industry on the Disclosure Statement:

- i. The Authority is requested to consider adequate return on the working capital deployed in the capital input. Therefore, grant of profit only on the fixed assets and ignoring investment in working capital has led to understate NIP.
- ii. The imposition of ADD on the imports of the subject goods from China PR will not be against the public interest.
- iii. The questionnaire response filed by users withholds significant information from the Authority.
- iv. The expression public interest is a wider term which covers domestic industry as well.
- v. The sole producer is unable to sell despite demand and supply gap, due to dumped imports.
- vi. ADD is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India.
- vii. Producers in China PR enjoy an unfair advantage, as they are operating under non-market economy conditions.
- viii. Chinese producers have significant high capacities.

J.2 Submissions of Other Interested Parties

107. The submissions of other interested parties on the Disclosure Statement are as follows:

- i. The demand-supply gap for the product in the country is severe.
- ii. The Authority's analysis of injury based on just six months as POI is misleading.
- iii. Import prices and performance of the Domestic Industry have improved in the post-POI period.
- iv. The injury data do not show any situation of considerable fall in performance of the Domestic Industry.
- v. The Authority should consider this case as an unfit case for ADD by considering larger interest of the users and any ADD at the cost of several small-scale users shall not do any good to the overall economic interest of the country.
- vi. The Authority is requested not to confirm the provisional duties earlier imposed in this matter.
- vii. The Authority has justified a six-month POI by stating, "*decline in import prices from subject country is steep in April-Sept, 19*". However, data provided in the petition filed by the Domestic Industry shows that import prices increased by around Rs. 3,200 (around 6%) in the month of September as compared to April prices.
- viii. The two months admitted shutdown of the Domestic Industry effectively reduced the POI to 4 months which is impermissible in law.
- ix. The present POI is not correctly adopted due to the following reasons:
 - a. It violates the guidelines given under the WTO Agreement and Manual issued by DGTR.
 - b. There is a wide fluctuation in the prices of Benzene, the major raw-material to manufacture Aniline and constitutes more than 75% of the cost of production of Aniline.
 - c. A short POI does not reflect the true picture of company's performance.
 - d. During the course of hearing the Domestic Industry stated that the plant of the Company remained shut for two months during the POI, which means that the virtual working period within the POI was only four months.
- x. The claim of confidentiality by the Applicant industry is excessive.
- xi. The extraordinarily short POI coupled with the two months shut-down of the Domestic Industry ensure that the performance parameters of the Domestic Industry relating to production, sales, profits and other parameters are bound to be distorted.

- xii. The Respondents note from the Disclosure Statement that the Authority has not considered the submissions of the Domestic Industry with respect to threat of material injury. The Respondents request the Authority to kindly confirm the same position in the Final Findings.
- xiii. There is no information in Section IV of the Disclosure Statement as to how actually the Authority has computed raw material cost, cost of utility, capacity utilization for normation of the cost. Also, the Authority has not disclosed as to how it has determined the important parameters such as capacity utilization, production, etc. given the admitted position that the Domestic Industry was under shut down for significant period during the POI.
- xiv. Since India uses lesser duty rule, the correct computation of NIP is of critical importance. Further, the Authority is requested to provide the proper methodology used for the computation of normal value.
- xv. The Authority must evaluate the claims for confidentiality of information and not designate information as confidential without a proper examination.
- xvi. The party providing the information on a confidential basis may be of the opinion that such information is not susceptible to summarization and not furnish the non-confidential summary of such information. However, in such a case, Rule 7(2) of the Rules requires the party to submit a statement of reasons as to why summarization is not possible. In addition to the above, the Authority is also required to evaluate the claims of confidentiality and determine whether the information in question can be kept confidential or not. In the present matter, the claim for confidentiality has been granted automatically without a thorough evaluation of the information to which the confidentiality claim pertains.
- xvii. In accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-Dumping actions should be lacking in multilateral legal basis since 11th December, 2016. Such a practice is bound to expire from then on. The Authority is requested not to use "surrogate country" methodology in calculating the normal value for this case, regardless of whether China is treated as a market economy country. Such understanding could find compelling support from the interpretation of the legal logical relationship between Article 15(a) and 15(b) of the protocol in the appellate body report on the "Fastener case" initiated by China PR against the EU recently released by the WTO Appellate Body, which, without any doubt, has provided strong justification for China PR to automatically obtain the market-economy status once the Article 15 of the Protocol expires.
- xviii. The sudden decline of economic parameters during the POI raises serious questions about the authenticity of the data provided by the Applicant.
- xix. The cost of sales increased from 100 in the base year to 113 during the POI (Annualized) whereas the selling price declined from 100 in the base year to 91 during the POI (Annualized). This increase in cost of sales and decline in selling price is directly linked with the low-capacity utilization and decrease in production. When the production and capacity utilization decline, the cost of sales increases due to fixed cost expenses and labour cost and not because of the imports from the subject countries.
- xx. The levy of ADD will establish monopoly of the Applicant and will not be in the public interest.
- xxi. The Post-POI ought to be investigated by the Authority to review whether the trend in the shorter period has indeed been borne out in the entire annual year and thereafter provide a reasoned basis for the differences if any.
- xxii. The Domestic Industry has clearly contravened the provisions for confidentiality under the Rules.
- xxiii. In the period after POI, the Domestic Industry has significantly increased the prices of aniline. Clearly, the injury period cannot be held as 6 months since the market has recovered.
- xxiv. Given the economic slowdown faced by auto industry & housing industry, imposing ADD on Aniline will result into disastrous consequences for the said industries.

- xxv. The Domestic Industry has failed to establish a causal link between the dumped imports and material injury to the Domestic Industry vide its Application.
- xxvi. The trend in the Selling Price and the Landed Price of the subject goods from China has virtually been identical and there is no impact of the landed price on the selling price of the Domestic Industry.
- xxvii. The conclusion pertaining to the decline in profitability of the Domestic Industry being attributable to an increase in imports from China is uncorroborated and inadequately established.
- xxviii. The exporters may have the benefit of economies of scale, however, despite a growing demand the sole domestic producer in India has not expanded capacities and has consistently operated at maximum capacity utilization.
- xxix. The Authority has incorrectly determined the NIP by adopting the information/data relating to the cost of production for a 6-month POI.

J.3 Examination by the Authority

108. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- i. As regards the submission of the Domestic Industry with regard to understated NIP, the Authority notes that NIP has been determined as per consistent practice of the Authority in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules.
 - ii. With regard to argument of other interested parties for disclosure of proper methodology used for the computation of normal value, it is noted that the same is already explained in the appropriate paragraphs of this findings.
 - iii. As regards increase in import price in post-POI period, the Authority considers that post-POI data cannot be considered for determination in the present case. Further, post-POI parameters in any case cannot be selectively considered by the Authority. Consideration of post POI data implies de-facto updation of all relevant information and thereafter full examination thereof, including verification.
 - iv. As regards the argument that the present case is not a fit case for imposition of ADD considering larger interest of the users and any ADD at the cost of several small-scale users shall not do any good to the overall economic interest of the country, the Authority notes that the interested parties have merely made submission about possible adverse effect on the users (and not public at large). Further, these parties have not quantified the adverse impact of proposed measures either on consumers or public at large. It is also seen that the prices of aniline were in the region of Rs. 95,000 pmt (CIF) during 2017-18 and 2018-19 and declined to Rs. 69,255 pmt (CIF) during the POI. Thus, the landed price of imports after adding proposed ADD shall remain materially below the prices that had prevailed over a long duration of two years.
 - v. With regard to the argument that the two months admitted shutdown of the Domestic Industry effectively reduced the POI to 4 months which is impermissible in law, the Authority notes that the plant was not shut down completely for two months. The plant was shutdown for a few days in the POI, as per details below. However, even when the production was suspended for few days, the Domestic Industry had inventories for undertaking sales. In fact, the inventory levels with the domestic industry in the POI were higher than the inventory levels in the past. Further, the Domestic Industry submitted that these shutdowns were not for technical reasons and were for commercial reasons.
 - vi. As regards the doubts about the authenticity of the data provided by the Applicant, it is clarified that all the data in the present finding is based on due desk verification. The decline in economic parameters of the Domestic Industry during the POI is a consequence of decline in the import price and increase in the dumped imports from China.

- vii. As regards the argument that this case as an unfit case for ADD considering larger interest of the users. It is noted that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- viii. With reference to the arguments regarding causal link and material injury, the Authority notes that these issues have been adequately examined in the relevant paragraphs above.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

- 109. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.
- 110. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSION

- 111. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value.
 - b. The Domestic Industry has suffered material injury.
 - c. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

M. RECOMMENDATIONS

- 112. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of Anti-Dumping is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
- 113. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends impositions of anti-dumping duty equal to lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No.20/2020-Customs (ADD) dated 29th July, 2020. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of imposition of provisional duties, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 41	Aniline	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	36.90	MT	US\$
2	2921 41	Aniline	China PR	Any country including China PR	Any combination other than the combination specified above	121.79	MT	US\$
3	2921 41	Aniline	Any country except China PR	China PR	Any	121.79	MT	US\$

114. Subject to the above, the Preliminary Findings notified on 12th June, 2020 is hereby confirmed.

N. FURTHER PROCEDURE

115. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority